कमल संदेश

‘तीन तलाक’ कुरीति समाप्त
मुस्लिम महिलाओं को मिली आजादी

वर्ष-14, अंक-16 16-31 अगस्त, 2019 (पाक्षिक) ₹20

अनुच्छेद 370 और 35ए निरस्त

नए भारत की ओर...
नए जम्मू-कश्मीर व लद्दाख की ओर...

सुषमा स्वराज

(14 फरवरी, 1952 – 6 अगस्त, 2019)

शत शत नमन!

नई दिल्ली में पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह व अन्य

नई दिल्ली में श्रीमती सुषमा स्वराज की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़

नई दिल्ली में अन्त्येष्टि स्थल पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी और अन्य वरिष्ठ नेतागण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला अनुच्छेद 370 और 35ए खत्म**

5 अगस्त 2019 : यह ऐतिहासिक दिन बन गया। केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्र सर्वोपरि के ध्येय-पथ पर चलते हुए साहसिक फैसला लिया और जम्मू-कश्मीर को अलग दर्जा देने वाले संविधान के विशेष उपबंध अनुच्छेद-370...

वैचारिकी

परकीय प्रेरणास्रोत देश में स्वावलंबन की प्रेरणा नहीं जगा सकता 24

श्रद्धांजलि

सुषमा स्वराज 28

लेख

तीन तलाक का दंश झेल रही महिलाओं को मिलेगा संरक्षण 26

''मैं चुनाव नहीं लडूंगी'' कहने का सामर्थ्य दिखाया सुषमा स्वराज ने 32

अन्य

त्रिपुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भाजपा की भारी जीत,... 19

भाजपा का खुद से ही मुकाबला, दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम तक लहराएंगे परचमः नड्डा 20

'तीन तलाक' कुरीति समाप्त मुस्लिम महिलाओं को मिली आजादी 21

देश में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हुई 23

प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया भारत रत्न 25

मन की बात 34

08 **जम्मू-कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग था, है और रहेगाः अमित शाह**

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त को मंजूरी दे दी।...

12 **जम्मू-कश्मीर अब एक नई सुबह, एक बेहतर कल के लिए तैयार हैः मोदी**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से जुड़े विधेयक के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर...

14 **प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन**

मेरे प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और...

18 **चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने येदियुरप्पा**

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री बी.एस. येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। राज्यपाल श्री वजुभाई वाला ने उन्हें पद...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

अनुच्छेद 370 और 35-ए ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। अब व्यवस्था की यह कमी दूर होने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा।

@AmitShah

मुझे विश्वास है कि धारा 370 और 35A के हटने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग भी नये भारत के विकास में भागीदार बनेंगे। यह 70 सालों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जीत है। इसका समर्थन करने वाले सभी दलों और सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं।

@JPNadda

देश के लघु एवं सीमांत किसानों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 मासिक पेंशन मिलेगी।

facebook

हमारी सरकार राज्य में सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसी को देखते हुए शीघ्र ही वेलनेस योगा, आयुर्वेद व पर्यटन पर आधारित संयुक्त रूप से एक समिट का आयोजन किया जायेगा। उत्तराखंड में ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती के लिये भी हमारे प्रयास जारी हैं। इसके लिये बड़ी संख्या में ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना की जा रही है। अब तक 67 ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना की जा चुकी है। आगामी दो माह में 40 और ग्रोथ सेन्टर धरातल पर दिखाई देंगे।

— **त्रिवेन्द्र सिंह रावत**

उत्तर प्रदेश ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम देने वाले शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है और इस तरह एक 'निवेश मित्र प्रदेश' के रूप में अपनी पहचान निरंतर बना रहा है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश उद्योगों की स्थापना के साथ विकास के निरंतर नए आयाम स्थापित करने की ओर अग्रसर है।

— **योगी आदित्य नाथ**

भारत की पहली, बिना इंजन की सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी खूबियों से यात्रियों को आकर्षित करने के साथ ही नए कीर्तिमान बना रही है। यह ट्रेन अपने विशेषताओं से यात्रियों को सफर का सुखद एहसास कराती है।

— **पीयूष गोयल**

सुषमा स्वराज

(14 फरवरी, 1952 – 6 अगस्त, 2019)

शत शत नमन!

कमल संदेश

परिवार की ओर से

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराजजी

को हार्दिक श्रद्धांजलि!

जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख में अनंत संभावनाओं के द्वार खुले

एक राष्ट्र के जीवन में वे अवसर अद्भुत होते हैं जब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे इतिहास की धारा मुड़ जाती है। कोई भी राष्ट्र दशकों तक और कभी–कभी तो सदियों तक राह देखता है कि कब वह अवसर आये, जब वह स्वयं अपने हाथों अपने गंतव्य का पथ प्रशस्त करे। ऐसे अवसर विरले ही होते हैं जब समस्त राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा होता है और उन पुरातन विचारों की जंजीरों को तोड़ सकारात्मक संभावनाओं से भरे भविष्य की ओर अपने पग बढ़ाता है। इसके लिए ऐसी राजनैतिक इच्छाशक्ति से लबालब नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है जो आत्मविश्वास से ओत–प्रोत एवं दृढ़ निश्चयी हो, जिसमें जीर्ण–शीर्ण व्यवस्था को चुनौती देने का साहस हो तथा जो अपनी संकल्पशक्ति एवं नेतृत्व कौशल से नए अवसरों का सृजन करे। ऐसे अवसर इतिहास के पन्नों पर अपने अमिट निशान छोड़ते हैं तथा आने वाले संततियों को प्रेरित तो करते ही हैं, साथ ही राष्ट्र जीवन को भी नए आत्मविश्वास एवं संकल्प से अनुप्राणित करते हैं। ऐसे ही अवसरों में एक अवसर अभी–अभी देखने को मिला जब देश की संसद ने जम्मू–कश्मीर पर संकल्पों एवं विधेयकों पर विचार कर भारी बहुमत से पारित किया। यह एक ऐतिहासिक अवसर था।

जम्मू–कश्मीर का विषय लंबे समय से पूरे देश पर छाया रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 370 इस प्रदेश की सारी समस्याओं के मूल में रहा है। परंतु यह देश का दुर्भाग्य रहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के निरंतर प्रोपगेंडा के कारण इस पर बहस भी करना मुश्किल हो गया था। यह विडंबना ही थी कि संविधान में इसे अस्थाई प्रावधान के रूप में शामिल किए जाने के बाद भी कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल इसे स्थायी मान कर चलते रहे हैं। यह एक भयंकर भूल थी जिसके कारण घाटी के एक वर्ग में अलगाववादी मानसिकता पनपाई गई तथा युवाओं को पाक प्रायोजित आतंकी संगठनों द्वारा दिग्भ्रमित कर आतंकी–अलगाववादी गतिविधियों की ओर धकेला गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह इस राज्य का शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। इसकी कीमत देश को अपने वीर जवानों के बलिदान से दशकों तक चुकाना पड़ा है। साथ ही धारा 370 से राज्य की जनता को भी कोई लाभ नहीं मिल पाया और वह विकास की दौड़ में लगातार पिछड़ती गयी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि आज धारा 370 निरस्त होने से देश में एक काले अध्याय का अंत हुआ। पूरा देश इस निर्णय के साथ एकजुट खड़ा है तथा देश के कोने–कोने में लोग उत्सव मना रहे हैं।

यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि आज धारा 370 निरस्त होने से देश में एक काले अध्याय का अंत हुआ। पूरा देश इस निर्णय के साथ एकजुट खड़ा है तथा देश के कोने–कोने में लोग उत्सव मना रहे हैं।

कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों ने धारा 370 के समाप्ति का विरोध कर अक्षम्य अपराध किया हैं। कांग्रेस का यह कदम राष्ट्र की जनभावना के विरुद्ध तो था ही साथ ही जम्मू–कश्मीर के विषय के स्थायी समाधान पाने के राह में रोड़े अटकाने का प्रयास भी था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों ने वोट–बैंक की राजनीति को राष्ट्रहित से ऊपर रखा है। देश की जनता कांग्रेस को कई बार सबक सिखा चुकी है, परंतु इस बार वोट–बैंक की राजनीति में यह इतना नीचे गिर चुकी है कि अब इसका संभलना अत्यंत कठिन लगता है। देश की जनता इतने बड़े विश्वासघात के लिए कांग्रेस को शायद ही कभी क्षमा करेगी।

जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक बड़ा निर्णय लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इतिहास रच दिया। मोदी सरकार द्वारा धारा 370 के निरस्तीकरण एवं जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के निर्णय को संसद के दोनों सदनों में जिस प्रखरता एवं तार्किक आधार पर गृहमंत्री श्री अमित शाह ने पारित करवाया, उसे निश्चय रूप से लंबे समय तक देश याद रखेगा। इस निर्णय से इस प्रदेश की जनता के लिए अनगिनत सम्भावनाओं के द्वार खुल गए हैं। अब जम्मू–कश्मीर लद्दाख की जनता को शेष भारत के साथ विकास एवं प्रगति की राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने से कोई रोक नहीं सकता। इस निर्णय से न केवल जम्मू–कश्मीर की जनता को भारी लाभ पहुंचने वाला है, बल्कि लद्दाख की जनता भी अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हो गई है। इससे दोनों क्षेत्रों के लिए लाभ ही लाभ है तथा शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण का वर्ग प्रशस्त हुआ है। आज इस क्षेत्र में विकास, प्रगति एवं शांति के नए युग का शुभारंभ हो रहा है। यह निर्णय डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ–भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं के संघर्ष, लाखों–करोड़ों देशवासियों के अरमानों एवं असंख्य वीर सैनिकों के बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला

अनुच्छेद 370 और 35ए खत्म

5 अगस्त 2019 : यह ऐतिहासिक दिन बन गया। केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्र सर्वोपरि के ध्येय-पथ पर चलते हुए साहसिक फैसला लिया और जम्मू-कश्मीर को अलग दर्जा देने वाले संविधान के विशेष उपबंध अनुच्छेद-370 की अधिकतर धाराओं और 35ए को खत्म कर दिया। साथ ही, सरकार के फैसले से जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया है और यह भी अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री श्री अमित शाह की संकल्पशक्ति और दृढ़ता ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रखर कर दिया।

गत 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को लेकर पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निवास पर हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला ले लिया गया था। केंन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संसद के उच्च सदन में एक साथ चार संकल्प पेश करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान के अनुच्छेद 370 (1) के अलावा सभी खंडों को हटाने और राज्य का विभाजन करने का प्रस्ताव, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र की अपनी विधायिका के बारे में प्रस्ताव और लद्दाख के बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र होने के बारे में प्रस्ताव रखा। राज्यसभा में पेश किये गए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को भी 61 के मुकाबले 125 वोट से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 पर्सेंट आरक्षण वाला विधेयक भी पास हो गया है। श्री शाह द्वारा राज्यसभा में संकल्प-पत्र पेश करने के बाद धारा 370 हटने से जम्मू-कश्मीर से 35-ए स्वतः ही खत्म हो गया और जम्मू-कश्मीर में भी भारतीय कानून पूरी तरह से लागू हो गया। गत 6 अगस्त को लोकसभा ने भी जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 70 के मुकाबले 370 वोटों से पारित कर दिया।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)
अधिसूचना, नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019
जीएसआर .551(ई).-राष्ट्रपति का दिया आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित।
संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 2019
सी.ओ. 272

संविधान में अनुच्छेद 370 की धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों से राष्ट्रपति अब जम्मू और कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर निम्न आदेश पारित कर रहे हैं।

1. (1) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 है।
(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। और इसके बाद यह समय-समय पर यथासंशोधित होगा। यह संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 पर प्रभावी होगा।

2. संविधान के सभी उपबंध (प्रावधान) समय-समय पर संशोधन के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे। यह बदलाव किस विषय में होंगे यह निम्न प्रकार से है:-
अनुच्छेद 367 में निम्न धाराएं जोड़ी जाएंगी :-
''(4) संविधान, जहां तक यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू है, के प्रयोजनों के लिए-
(क) इस संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्यों के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके उपबंधों का निर्देश माना जाएगा।
(ख) जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति की ओर से जम्मू और कश्मीर के सदर-ए-रियासत, जो तत्स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर कर रहे हैं, के रूप में तत्स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है। उनके लिए निर्देशों को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा।
(ग) उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा।
(घ) इस संविधान के अनुच्छेद 370 के परंतुक में खंड (2) में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा अभिव्यक्ति को ''राज्य की विधानसभा'' पढ़ा जाएगा।

रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति।
(फा.सं 19(2)/2019-विधायी 1)
डॉ. जी.नारायण राजू, सचिव

अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति की अधिसूचना का मूल पाठ

फैसले के बाद

- दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा।
- देश का कोई भी नागरिक यहां संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा।
- जम्मू–कश्मीर अब विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। इसका कार्यकाल पांच साल होगा। लद्दाख पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश होगा।
- जम्मू–कश्मीर व लद्दाख में अब उप–राज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू–कश्मीर कैडर के आइपीएस व आइएएस अधिकारी यूटी कैडर के अधिकारी हो जाएंगे।
- किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू–कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेषाधिकार खत्म होगा।
- अब यहां अनुच्छेद 356 का भी इस्तेमाल हो सकेगा। यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा। अब अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
- सूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून में होने वाले संशोधन खुद–ब–खुद जम्मू–कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे।
- भारत का कोई भी नागरिक जम्मू–कश्मीर का मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब जम्मू–कश्मीर और लद्दाख पर भी मान्य होंगे।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 का कलंक हटा

जम्मू-कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग था, है और रहेगा: अमित शाह

गत 6 अगस्त को लोक सभा में केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र पर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया, जिस पर गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ऐतराज जताया। श्री शाह ने पूछा- आप बताएं कि कौन सा नियम तोड़ा गया।

लोक सभा में कांग्रेस के सदन के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आप कश्मीर के अंदरूनी मसला बताते हैं लेकिन 1948 से यूएन इस मामले को देख रहा है। इसे अंदरूनी मामला कैसे कह सकते हैं?

हमारे एक प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता किया, दूसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर समझौता किया। हमने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए और इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताया तो अचानक जम्मू-कश्मीर अचानक आंतरिक मसला कैसे हो गया?

कुछ दिन पहले एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से कहा था कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, आप इसमें दखलअंदाजी नहीं कर सकते। क्या अब भी जम्मू-कश्मीर अंदरूनी मसला रह जाता है?

कांग्रेस सासंद ने कहा कि 'आपने कहा कि कश्मीर आंतरिक मामला है, लेकिन 1948 से संयुक्त राष्ट्र की नजर यहां पर बनी हुई है।' श्री अधीर के इस बयान को बीच में काटते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस का यह स्टैंड है कि यूनाइटेड नेशन कश्मीर को मॉनिटर कर सकता है? इस पर कांग्रेस सांसद बैकफुट पर आ गए और कहा कि वह सिर्फ स्पष्टीकरण चाहते हैं। वह सिर्फ जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है?

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जवाब देते हुये कहा कि मामला 1948 में यूएन में पहुंचाया गया था। फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाधी ने जो शिमला समझौता किया था, उसका जिक्र किया। उन्होंने एक तरह से इस सदन की क्षमता पर सवाल उठाया है कि यह सदन इस बिल पर चर्चा कर सकता है कि नहीं? जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसकी स्पष्टता भारत और जम्मू-कश्मीर के संविधान में है। जम्मू-कश्मीर के संविधान में भी इसका स्पष्ट जिक्र है।

- यह पॉलिटिकल चीज नहीं है। यह कानूनी विषय है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस बारे में कोई कानूनी विवाद नहीं है। भारत और जम्मू-कश्मीर के संविधान में बहुत साफ है कि वह भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर में संविधान के आर्टिकल 1 के सारे अनुच्छेद लागू हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक भारत एक सभी राज्यों को संघ है। सीमाओं के व्याख्या करते हुए राज्यों की लिस्ट भी दी है। इसमें 15वें नंबर पर जम्मू कश्मीर है। हमारे संविधान ने जम्मू-कश्मीर की जो सीमाएं तय की हैं, उसमें पीओके भी आता है।
- मैं जब जम्मू-कश्मीर की बात करता हूं तो उसमें पीओके और अक्साई चीन भी समाहित है। मैं इसलिए आक्रामक हूं कि जम्मू और कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं क्या?... क्या बात कर रहे हो आप... जान दे देंगे इसके लिए।
- इससे साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर पर बिल को लेकर सदन के अधिकार पर सवाल उठाया है। श्री अमित शाह ने कहा कि यह केवल राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि क़ानूनी मामला भी है।
- जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे लेकर कोई क़ानूनी और सियासी बाधा नहीं है। इस पर कानून बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद को अधिकार है। हमें कोई कानून बनाने

और संकल्प के लिए कोई रोक नहीं सकता है। इसी अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जी की मंजूरी से मैंने ये दोनों चीजें यहां पर लाया हूं।

- इस सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव और बिल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। कल अनुच्छेद 370 1डी का प्रस्ताव पास किया गया। इसमें उल्लेख किया गया है कि जम्मू-कश्मीर को विधानसभा कहकर ही बुलाया जाएगा। अनुच्छेद 370 की धारा तीन के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि एक नोटिफिकेशन जारी कर 370 को निष्क्रिय कर सकते हैं। वे तब ही नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, जब जम्मू-कश्मीर संविधान की अनुशंसा हो। उसके बाद ही यह हुआ है। कांग्रेस ने भी 1952 और 1965 में इसका इस्तेमाल किया था। राष्ट्रपति ने कैबिनेट की अनुशंसा के बाद ही ऐसा किया है। मुझे उम्मीद है कि सदन के सभी सदस्य धारा 370 हटाने के लिए एक साथ वोट करेंगे।
- ये प्रस्ताव और बिल भारत के स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा होगा। इस बिल से आने वाले वक्त में जम्मू-कश्मीर सदियों तक भारत का हो जाएगा।
- अनुच्छेद 370 की धारा तीन में यह अधिकार निहित है और सभी सदस्य इस धारा को ध्यान से पढ़ लें कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है। राष्ट्रपति इस पर फ़ैसला ले सकते हैं। इसका मतलब ये होता है अनुच्छेद 370 की धारा तीन का उपयोग कर अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति ये अधिसूचना तभी निकाल सकते हैं जब जम्मू-कश्मीर की विधानसभा से ऐसी अनुशंसा आए। इस पर भी समझ लीजिए इसी प्रोविजन का इस्तेमाल कांग्रेस ने दो बार किया। इसी के तहत कांग्रेस ने महाराजा को ख़त्म कर सदर-ए-रियासत किया और बाद में सदर-ए-रियासत को हटाकर गवर्नर किया।
- जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। धारा 356 के एक बी के अनुसार राज्यपाल के पास विधानसभा की सारी शक्तियां हासिल हैं और राज्यपाल की अनुशंसा से ये बिल लाया गया है।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर बोले गृह मंत्री, 'दोनों हिल काउंसिल अस्तित्व में रहेंगे। हिल काउंसिल के सदस्यों को मंत्री का दर्जा मिलेगा।'

श्री अमित शाह ने आगे कहा कि -

- सदस्यों के मन के भाव को समझ रहा हूं क्योंकि सब लोग 70 साल से एक दर्द को दबाकर बैठे हैं।
- कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है लेकिन किसी अन्य राज्य को नहीं बोलते, उसकी वजह 370 है क्योंकि इसी ने जनमानस के मन में शंका पैदा की थी, कश्मीर भारत का अंग है या नहीं। धारा 370 कश्मीर को भारत से जोड़ती नहीं बल्कि जोड़ने से रोकती है, जो आज सदन के आदेश के बाद खत्म हो जाएगी।
- मैं प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति की तारीफ़ करता हूं। उनके कारण 370 का कलंक हटा है जो वोट बैंक के लालच के कारण अब तक नहीं हट पाया था।
- देश का बच्चा-बच्चा बोलता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम ये क्यों नहीं बोलते कि यूपी देश का अभिन्न अंग है, तमिलनाडु देश का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका पैदा कर दी थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं।
- यहां उपस्थित एक दो लोगों के अलावा किसी ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध नहीं किया। वो भी चाहते हैं कि 370 हट जाए, लेकिन उनके सामने वोट बैंक का प्रश्न आ जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र का इस मामले में कोई दखल नहीं है, भारतीय संसद को जम्मू-कश्मीर के विभाजन का पूरा अधिकार है। शिमला समझौता भी इसे और स्पष्ट कर देता है। भारत की सीमाओं के अंदर कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत के संसद के दोनों सदनों को पूरा संवैधानिक अधिकार है।
- जहां तक केंद्र शासित राज्य का सवाल है तो मैं देश और मुख्य रूप से घाटी के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि स्थिति सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने में हमें कोई संकोच नहीं होगा।
- मोदी सरकार PoK को कभी देने वाली नहीं है और वहां की 24 सीटें आज भी हमारा हिस्सा रहने वाली हैं। इस पर हमारा दावा उतना ही मजबूत है जितना पहले था।
- कश्मीर मुद्दा 1948 में UN में पहुंचा था। लेकिन जब भारत-पाकिस्तान ने UN को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तब किसी भी देश की सेना को सीमाओं के उल्लंघन का अधिकार नहीं था। लेकिन 1965 में पाकिस्तान की ओर से सीमा का उल्लंघन करने पर यह प्रस्ताव खारिज हो गया था। जम्मू-कश्मीर के लिए इस सदन को संपूर्ण अधिकार हासिल हैं कोई भी बाध्यता नहीं है।
- संयुक्त राष्ट्र में इस विषय को कौन लेकर गया, आकाशवाणी से गृह मंत्री को बगैर भरोसे में लिए हुए मसले को UN में ले जाया गया। यह काम भी नेहरूजी ने ही किया था। धारा 370 की वजह से अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि 370 से इस देश के कानून की पहुंच वहां नहीं होती थी।
- जब हमारी सेना कश्मीर में विजयी हो रही थी और पाकिस्तानी कबीलाइयों को भगाया जा रहा था तब अचानक शस्त्र विराम किसने किया, वो भी नेहरू जी ने किया और उसी के कारण आज PoK है, अगर सेनाओं को उस वक्त छूट दी होती तो पूरा PoK भारत का हिस्सा होता।
- 370 जम्मू-कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध है। इसे हटाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यह देश की संसद के अधिकारों को जम्मू-कश्मीर में कम करता है। इस कारण जम्मू कश्मीर के लोगों में अलगाववाद होता है, देश का क़ानून वहां की विधानसभा की सहमति के बिना वहां नहीं पहुंच सकता। जबकि 371 देश के अन्य राज्यों को विकासात्मक कार्यों के लिए, उनकी समस्याओं को निपटाने के अधिकार देता है। यह देश एकता की एकता और अखंडता के लिए बाधक नहीं है। इसे क्यों हटाएंगे? संबंधित राज्य आश्वस्त रहें, इसे

हटाने का हमारा कोई इरादा नहीं। राज्यों के कुछ समस्याओं को 371 में रखा गया है और इनकी तुलना संभव नहीं है और हम इसे कतई हटाने नहीं जा रहे हैं।

❖ 370 हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह देश की संसद के महत्व को कम करता है। देश का कानून वहां तक नहीं पहुंचता है। जिसकी वजह से पाकिस्तान वहां के लोगों के मन में अलगाववाद को बढ़ाता है।

❖ इसी रास्ते पर चलकर कांग्रेस ने 2 बार 370 के अंदर संशोधन किया है। क्या उस वक्त वो रास्ता ठीक था, रास्ता तो ठीक है लेकिन यह आपके वोट बैंक के आड़े आता है इसलिए आपको ठीक नहीं लगता।

❖ (सुप्रिया सुले के सवालों पर) वहां 1989-95 तक आतंकवाद इतना बढ़ा कि सालों तक कश्मीर में कर्फ्यू रखना पड़ा था, हमने स्थिति न बिगड़े इसके लिए इंतजाम किए हैं। सरकार पहले से तैयार है और उससे नहीं रोका जा सकता। वहां से सुरक्षाबल नहीं हटेंगे और न हम दबाव में आएंगे। 70 साल तक चर्चा चल रही है तीन पीढ़िया आ गईं, जो पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं उनसे चर्चा करें, हम हुर्रियत से चर्चा नहीं करना चाहते।

❖ जम्मू कश्मीर ने दर्द को सहा है और 40 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उनके विकास के लिए जो भी करना है वो हम करके दिखाएंगे। मोदीजी का दिल बड़ा है पहले कार्यकाल में सवा लाख करोड़ दिया था जिसमें से 80 हजार करोड़ खर्च हो चुका है और भी देने जा रहे हैं।

❖ इतिहास में जो गलतियां हुईं थीं, उन्हें हम नहीं दोहराने जा रहे। बेरोजगारी हर राज्य की समस्या है लेकिन वहां आतंकवाद क्यों नहीं पनपा, धारा 370 से घाटी में अलगाववाद बढ़ा जिस पर पाकिस्तान ने पेट्रोल डालने का काम किया।

❖ आंध्र का विभाजन बगैर चर्चा के हुआ। विधानसभा ने प्रस्ताव खारिज किया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, फिर आपने कैसी चर्चा करके यह फैसला लिया। अगर आपने किया तो अब हमें क्यों टोक रहे हैं। मार्शलों ने सांसदों को बाहर फेंका, काला दिन आज नहीं है, काला दिन वो था।

❖ हम हुर्रियत के साथ चर्चा नहीं करना चाहते। घाटी के लोग हमारे हैं, हम उनको सीने से लगाएंगे, उनको प्यार से रखेंगे, पूरा हिंदुस्तान उन्हें प्यार से रखेगा। अगर उनके मन में कोई आशंका है तो जरूर चर्चा करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

❖ केंद्र शासित प्रदेश का सवाल है तो बता दूं कि यह लद्दाख की मांग थी लेकिन कश्मीर के बारे में फिर से विचार किया जाएगा। नेहरू जी ने तो 370 को भी अस्थाई बताया था उसे हटाने में 70 साल लगे लेकिन हमें 70 साल नहीं लगेंगे।

❖ जम्मू कश्मीर में विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्री सब रहेंगे। श्री शाह ने कहा कि जनमत संग्रह तभी खत्म हो गया जब पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं को तोड़ा था, अब UN में जनमत संग्रह को कोई मुद्दा नहीं है। घाटी में स्थिति न बिगड़े इसके लिए कर्फ्यू डाला है, स्थिति बिगड़ी है इसलिए नहीं लगाया। जम्मू-कश्मीर के लिए बनाया गया कानून किसी भी सूरत में सांप्रदायिक नहीं हो सकता, यह आरोप मैं सिरे से खारिज करता हूं।

❖ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम ऐतिहासिक ग़लती करने जा रहे हैं। हम ग़लती करने नहीं बल्कि ऐतिहासिक ग़लती को सुधारने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में पांच साल के बाद जम्मू कश्मीर का विकास देखकर घाटी के लोगों को समझ आएगा कि अनुच्छेद 370 की ख़ामियां क्या थीं।

❖ 1989 से लेकर अब तक 41 हजार लोग मारे गए फिर भी क्या हम उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। 70 साल इसी रास्ते पर चले हैं अब क्या रास्ता बदलना नहीं चाहिए। कब तक वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे, कब देश हित और घाटी के हित के बारे में सोचेंगे, लद्दाख के युवाओं के बारे में कब सोचेंगे। जम्मू-कश्मीर के अंदर मोदी सरकार में होने वाले विकास को पूरी दुनिया देखेगी।

❖ हम सिर्फ वोट बैंक और चुनावी फायदे के लिए ऐसे फैसले नहीं लेते, बल्कि देश हित और देश की सुरक्षा के लिए ऐसे फैसले लिए जाते हैं। घाटी की जनता की भलाई के लिए ही यह फैसले लिए जा रहे हैं। धारा 370 के फायदों के बारे में एक भी सदस्य ने नहीं बताया अगर इसे चालू रखना है तो इसका कुछ फायदा भी तो होना चाहिए।

❖ जो कश्मीर में धारा 370 लागू रखना चाहते हैं वह लोग बाल विवाह का समर्थन करते हैं और उसे जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज तक बाल विवाह कानून लागू नहीं है। वहां के सिख, जैन और बौद्ध भाइयों के लिए अल्पसंख्यक आयोग क्यों नहीं बनना चाहिए।

❖ शिक्षा का अधिकार जम्मू कश्मीर के बच्चों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। भूमि अधिग्रहण और दिव्यांगों को लिए बने कानून में वहां लागू नहीं होते।

❖ देश भर में परिसीमन हुआ लेकिन जम्मू कश्मीर में कितनी भी आबादी बढ़ जाए लेकिन परिसीमन नहीं हो सकता क्योंकि वोट बैंक को परेशानी हो रही थी, लेकिन 370 के हटते ही परिसीमन किया जा सकेगा।

❖ जम्मू कश्मीर में चिंता 370 की नहीं है बल्कि राष्ट्रपति शासन में खुलने वाली फाइलों से चिंता है। राष्ट्रपति शासन आते ही वहां ठंड में पसीने आने लगे हैं और अब फाइलें खुल रही हैं।

❖ दलितों और आदिवासियों के आरक्षण का क्या कांग्रेस विरोध कर रही है। वहां के लोगों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए, धारा 370 के पक्ष में खड़े लोग क्या इस आरक्षण के खिलाफ हैं।

❖ धारा 370 को बचाने वाले यह भी याद रखें उन्हें जनता के बीच जवाब देना होगा। इस धारा की वजह से जम्मू कश्मीर के विकास को रोका गया और लोकतंत्र का गला घोंटा गया। वहां कांग्रेस सरकार में आए संविधान संशोधन भी लागू नहीं हुए, क्योंकि वोट बैंक प्रभावित हो रहा था। तीन परिवारों की वजह से वहां का विकास नहीं हो सका।

❖ अगर तीन परिवारों के नाम बता दूंगे तो तिलमिला जाएंगे, पूरा देश जानता है कि वो कौन तीन परिवार हैं। गृह मंत्री ने कहा कि जल

कल्याण का जो पैसा केंद्र से गया उससे जनता का पूरा विकास नहीं हुआ क्योंकि 370 की वजह से भ्रष्टाचार चलता रहा। यह पैसा कहां गया, इसी 370 को ढाल बनाकर भ्रष्टाचार करने का काम वहां के नेताओं ने किया है।

- ❖ आतंकवाद का मूल गरीबी नहीं है, गरीब देश का वफादार होता है कभी हाथ में हथियार नहीं उठाता। धारा 370 का दुष्प्रचार हुआ जिससे वहां आतंकवाद बढ़ता चला गया, लोगों को बरगलाया गया और वहां की जनता को गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिला। देशभर के बाकी राज्यों में आतंकवाद क्यों नहीं पनपा क्योंकि वहां 370 नहीं थी जो अलगाववाद का मूल पैदा करती थी।
- ❖ यदि मनमोहन सिंह जी और इंद्र कुमार गुजराल जी शरणार्थी के रूप में जम्मू-कश्मीर गए होते तो उन्हें वोटिंग का अधिकार भी न मिला होता। वे पंजाब गए और देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। ये कैसा 370 है और कैसा मानवाधिकार?
- ❖ 370 ने हमेशा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उकसाने का मौका दिया, आप सोचिए कि इससे अब तक क्या मिला। यह कानून घाटी के लोगों को अपने नजदीक ला पाएंगे और वहां विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
- ❖ जम्मू कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग था, है और रहेगा। गृह मंत्री ने कहा कि अटलजी पूरे जीवन 370 के खिलाफ लड़े हैं और जेल भी गए थे। आज अटलजी की पार्टी के ही नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिला और आज 370 हट रही है।
- ❖ लोहिया जी ने 370 को भारत और कश्मीर को अलग करने वाले अनुच्छेद बताते हुए इसे हटाने की अपील इसी सदन में की थी, क्या वो सेक्युलर नहीं थे।
- ❖ कश्मीरी पंडितों, सूफी संतों के मानव अधिकार नहीं थे जिन्हें कश्मीर से बाहर निकालकर फेंक दिया गया। 370 के समर्थक दलित, आदिवासी, महिला, शिक्षा के विरोधी हैं। इसे हटाने का समर्थन करने वाले आतंकवाद विरोधी है और मेरी सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती। सभी प्रदेशों की तरह पहली बार जम्मू-कश्मीर को भी आजादी के बाद अधिकार दिए जा रहे हैं।

सामाजिक संकल्प हुआ स्वीकार: लोकसभा में गृह मंत्री की ओर से लाया गया संकल्प स्वीकार किया गया। इसके पक्ष में 351 और विपक्ष में 72 वोट पड़े। एक सांसद गैर मौजूद रहा जबकि कुल 424 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लोक सभा से भी पारित। इसके पक्ष में 370 और विरोध में 70 मत पड़े।

आरक्षण विधेयक वापस लिया गया: गृहमंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक वापस लेते हुए कहा- जब अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी हो जाएगा तो भारत के सभी क़ानून वहां लागू हो जाएंगे। ऐसे में इस विधेयक की ज़रूरत नहीं रहेगी। यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है ऐसे में वहां भी इसे वापस लेने की गुज़ारिश करूंगा।

मोदी सरकार की इच्छा-शक्ति बहुत मजबूत है: केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 अगस्त को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिये जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 के अंतर्गत उपर्युक्त दो संकल्प और दो बिल विचार तथा पारित करने के लिए प्रस्तुत किये।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि घाटी के लोगों को भी 21वीं सदी के साथ जीने का अधिकार है। धारा 370 के कारण सरकार द्वारा बनाए गए कानून वहां नहीं पहुंच पाते। उनका कहना था कि मोदी सरकार युवाओं को अच्छा भविष्य देना चाहती है, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार देना चाहती है, उनको संपन्न बनाना चाहती है ताकि भारत के दूसरे हिस्सों का जिस प्रकार विकास हुआ है उसी तरह की घाटी का भी विकास हो।

श्री शाह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और उस अधिकार के तहत राष्ट्रपति के संविधान आदेश 2019 (जम्मू-कश्मीर के लिये) पर संसद के इस सदन में प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है।

श्री शाह ने कहा कि धारा 370 तो पहले से ही अस्थाई है और अस्थाई व्यवस्था को 70 साल तक खींचा गया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से अनुच्छेद 370 के सिर्फ खंड एक को छोड़कर अन्य खंड लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के लिये भी प्रस्ताव रखा तथा जम्मू-कश्मीर में विधान सभा के साथ अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, जबकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाये जाने की बात की। श्री शाह ने कहा कि जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी को धारा 370 से क्या-क्या नुकसान हुए हैं इस बात की किसी ने परवाह नहीं की। उनका कहना था कि धारा 370 के कारण घर-घर में गरीबी दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने सदैव ही जम्मू-कश्मीर को प्रति व्यक्ति ज्यादा धन उपलब्ध कराया, फिर भी विकास की गति नहीं बढ़ पाई। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।

श्री शाह ने यह भी कहा कि धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई, यह धारा महिला विरोधी, गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र प्रफुल्लित नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा और चरम सीमा पर पहुंच गया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू-कश्मीर में निजी निवेश के दरवाजे खोले जाएंगे, जिससे वहां विकास की संभावना बढ़ेगी। निवेश में वृद्धि से रोजगार सृजन में वृद्धि होगी और राज्य में सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे में और सुधार होगा। उन्होंने कहा कि भूमि खरीदने से निजी लोगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश आएगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

श्री अमित शाह ने सदन में आश्वासन दिया कि उचित समय पर केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा दिया जायेगा। ■

जम्मू-कश्मीर अब एक नई सुबह, एक बेहतर कल के लिए तैयार है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े विधेयक के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कई ट्वीट करते हुए आशा व्यक्त कि "हम एक साथ उठेंगे और 130 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करेंगे। मैं जम्मू-कश्मीर के निवासियों के साहस और जज्बे को सलाम करता हूं।

श्री मोदी ने कहा कि वर्षों तक भावुक ब्लैकमेलिंग पर विश्वास करने वाले स्वार्थी तत्वों ने कभी भी लोगों के अधिकारों की चिंता नहीं की। जम्मू-कश्मीर अब ऐसे लोगों के चंगुल से आजाद है और एक नई सुबह, एक बेहतर कल के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुड़े विधेयक एकीकरण और अधिकारिता को सुनिश्चित करेंगे। ये कदम युवाओं को मुख्यधारा में लेकर आएगा और उन्हें अपने हुनर और कौशल को

इस फैसले से जम्मू-कश्मीर के विकास का द्वार खुल गया है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35A को निरस्त करने के ऐतिहासिक निर्णय एवं उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री श्री अमित शाह का हार्दिक अभिनंदन किया एवं इस फैसले का समर्थन करने वाले सभी संसद सदस्यों को हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद दिया और इसे भारत की एकता और अखंडता के लिए एक स्वर्णिम दिन बताया। उन्होंने अनुच्छेद 370 एवं 35A के निरस्त करने के निर्णय पर देश की जनता को भी हार्दिक बधाई दी।

#BharatEkHai टैगलाइन के साथ एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में स्वराक्षरों में अंकित किया जाएगा जब भारत की एकता और अखंडता को पुनर्स्थापित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35A को निरस्त करने का संकल्प लाकर कश्मीर को पूर्ण रूप से विकास की धारा के साथ जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के गरीबों, शोषितों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों एवं सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़े जाने के इस ऐतिहासिक अवसर को देश सदैव उत्सव के रूप में मनाएगा। उन्होंने कहा कि आज के ऐतिहासिक फैसले से स्पष्ट हो गया कि देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान बिलकुल नहीं चलेंगे। जम्मू-कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर, जनसंघ के संस्थापक हमारे प्रणेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। मुखर्जी जी का सर्वोच्च बलिदान आज सफल हो गया। आज के बाद "दो विधान, दो प्रधान, दो निशान" नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत! उन्होंने कहा कि आज के फैसले से जम्मू-कश्मीर के विकास का द्वार खुल गया है, जिसके बल पर एक विकसित जम्मू-कश्मीर की नींव रखी जायेगी।

प्रदर्शित करने के अनगिनत अवसर प्रदान करेगा।

लद्दाख के लोगों को विशेष रूप से बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि "ये अपार हर्ष का विषय है कि संघ शासित प्रदेश बनाने की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूर्ण हुई है। इस निर्णय से क्षेत्र में संपन्नता को बल मिलेगा और इससे बेहतर विकास सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी।

जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख से जुड़े इस अहम विधेयक का पारित होना, सरदार पटेल, जो देश की एकता के लिए समर्पित थे; बाबासाहेब अम्बेडकर, जिनके विचार सर्वविदित हैं; डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, को सच्ची श्रद्धांजलि है।

उन्होंने कहा कि 'संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और वैचारिक मतभेदों को भुलाकर सार्थक चर्चा की, इसने हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी सांसदों, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को बधाई देता हूं।'

प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को गर्व होगा कि सांसदों ने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर उनके भविष्य को लेकर चर्चा की। साथ ही साथ वहां शांति, प्रगति और समृद्धि की राह सुनिश्चित की। राज्यसभा में 125 के मुकाबले 61 और लोकसभा में 370 के मुकाबले 70 का विशाल बहुमत भारी समर्थन को दिखाता है।'

'देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी ने अपने-अपने सदन में जिस प्रकार से कार्यवाही का प्रभावी संचालन किया, उसके लिए वे पूरे देश की ओर से बधाई के पात्र हैं।'

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गृहमंत्री श्री अमित शाह को विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के बेहतर जीवन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनका समर्पण और अथक प्रयास इन विधेयकों के पारित होने में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। इसके लिए मैं अमित भाई को विशेष बधाई देता हूं।'

सरकार का साहसिक कदम : लालकृष्ण आडवाणी

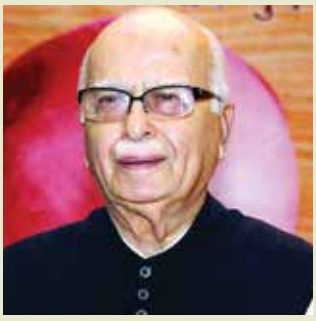

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अनुच्छेद 370 हटाने के फ़ैसले को 'साहसिक कदम' बताया है। श्री आडवाणी ने कहा, "अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फ़ैसले से मैं खुश हूं। मैं मानता हूं कि ये देश की अखंडता को मजबूत करने की दिशा में एक साहसिक कदम है।" उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह को बधाई दी। श्री आडवाणी ने कहा है कि वो जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं।

सरकार के साहसपूर्ण कदम का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फ़ैसले पर कहा, "सरकार के साहसपूर्ण कदम का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह जम्मू-कश्मीर सहित पूरे देश के हित के लिए अत्यधिक आवश्यक था। सभी को अपने स्वार्थों एवं राजनीतिक भेदों से ऊपर उठकर इस पहल का स्वागत और समर्थन करना चाहिए।"

अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने से 70 साल का भेदभाव समाप्त: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील करने के सरकार के फैसले से पिछले 70 वर्षों से लोगों द्वारा सामना किए रहे भेदभाव का अंत हो गया।

श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की आरंभिक तैयारी की गई। इस फैसले के कुछ प्रभाव होंगे।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश खुश नहीं है और वह शांति को भंग करने का प्रयास करेगा। हमारी सेना ने सुरक्षा चुनौती को स्वीकार कर लिया है और यह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआतः नरेन्द्र मोदी

मेरे प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभभाई पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान हैं और दायित्व भी समान हैं। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

समाज जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थाई मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा। अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था। उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात ये है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ।

अनुच्छेद 370 और 35-ए ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद-आतंकवाद-परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले तीन दशक में लगभग 42 हजार निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया, जिसका वो हकदार था। अब व्यवस्था की ये कमी दूर होने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा।

हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है। किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, ये कार्य निरंतर चलता रहता है। कानून बनाते समय संसद में काफी बहस होती है, संसद के बाहर भी बहुत चर्चा होती है, चिंतन-मनन होता है, उसकी आवश्यकता, उसके प्रभाव को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर जो

कानून बनता है, वो पूरे देश के लोगों का भला करता है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हों। यहां तक कि पहले की जो सरकारें, एक कानून बनाकर वाहवाही लूटती थीं, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थीं कि उनका बनाया कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से जम्मू-कश्मीर के डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे।

सोचिए, देश के अन्य राज्यों में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं, वो सारे हक जम्मू-कश्मीर की बेटियों को नहीं मिलते थे। देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे। देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए Minimum Wages Act लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर

में काम करने वाले श्रमिकों को ये सिर्फ कागजों पर ही मिलता था। देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते समय अनुसूचित जनजाति के भाई-बहनों को आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था।

अब आर्टिकल 370 और 35-ए, इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू-कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में, अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं जैसे LTC, House Rent Allowance बच्चों की शिक्षा के लिए Education Allowance हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिस परिवारों को नहीं मिलती। ऐसी सुविधाओं का review कराकर जल्द ही जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों और वहां की पुलिस को भी ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

बहुत जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

बहुत जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना का भी विस्तार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जम्मू-कश्मीर में राजस्व घाटा भी बहुत ज्यादा है। केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी की इसके प्रभाव को कम किया जाए।

केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखंड के लिए जम्मू-कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच-समझकर लिया है। इसके पीछे की वजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब से वहां गवर्नर रूल लगा है, जम्मू-कश्मीर का प्रशासन, सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसकी वजह से बीते कुछ महीनों में वहां Good Governance और Development का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थीं, उन्हें अब जमीन पर उतारा जा रहा है। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिली है। हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य-संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी का नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स, हों, तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबके काम में तेजी आई है। इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हों, सड़कों और नई रेल लाइनों का काम हो, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, सभी को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।

हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू-कश्मीर में दशकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाई-बहन रहते हैं, जिन्हें लोकसभा के चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे, ना लड़ सकते थे ये वो लोग हैं जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता?

जम्मू-कश्मीर के अपने भाई-बहनों को मैं एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले MLA होते थे, वैसे ही MLA आगे भी होंगे। जैसे पहले मंत्रिपरिषद होती थी, वैसी ही मंत्रिपरिषद आगे भी होगी। जैसे पहले आपके सीएम होते थे, वैसे ही आगे भी आपके सीएम होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद-अलगाववाद से जम्मू-कश्मीर को मुक्त कराएंगे। जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू-कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा। नागरिकों के जीवन में Ease of Living बढ़ेगी, नागरिकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए, वो बेरोक-टोक मिलने लगेगा, शासन-प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं जनहित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगी, तो मैं नहीं मानता कि केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था जम्मू कश्मीर के अन्दर चलाए रखने की जरूरत पड़ेगी। हां लद्दाख में वो बनी रहेगी।

हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बनें। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। जैसे बीते दिनों पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव

होंगे। मैं राज्य के गवर्नर से ये भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का गठन, जो पिछले दो-तीन दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द से जल्द किया जाए।

ये मेरा खुद का अनुभव है कि चार-पांच महीने पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पंचायत चुनावों में जो लोग चुनकर आए, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले जब मैं श्रीनगर गया था, तो वहां मेरी उनसे लंबी मुलाकात भी हुई थी। जब वो यहां दिल्ली आए थे, मेरे घर पर आए थे, मैंने उनसे काफी देर तक बात की थी। पंचायत के इन साथियों की वजह से जम्मू-कश्मीर में बीते दिनों ग्रामीण स्तर पर बहुत तेजी से काम हुआ है। हर घर बिजली पहुंचाने का काम हो या फिर राज्य को ODF बनाना हो, इसमें पंचायत के प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें भी जो महिला पंच, जो चुनकर आयी है, वो कमाल कर दिखाई हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ, नयी ऊर्जा के साथ, नए सपनों को साथ, आगे बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता, Good Governance और पारदर्शिता के वातावरण में नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी।

दशकों के परिवारवाद ने जम्मू-कश्मीर के मेरे युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया। अब मेरे ये युवा जम्मू-कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों, वहां की बहनों-बेटियों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान- आगे आईये - खुद संभालिए।

दशकों के परिवारवाद ने जम्मू-कश्मीर के मेरे युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया। अब मेरे ये युवा जम्मू-कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों, वहां की बहनों-बेटियों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान- आगे आईये - खुद संभालिए।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता है। इसके लिए जो वातावरण चाहिए, शासन-प्रशासन में जो बदलाव चाहिए, वो किए जा रहे हैं लेकिन मुझे इसमें हर देशवासी का साथ चाहिए। एक जमाना था, जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर पसंदीदा जगह थी। उस दौरान शायद ही कोई फिल्म बनती हो, जिसकी कश्मीर में शूटिंग न होती हो। अब जम्मू-कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी, तो देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी लेकर आएगी।

मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलगू और तमिल फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में जरूर सोचें।

जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े लोग हैं, चाहे वो प्रशासन में हों या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपनी नीतियों में, अपने फैसलों में इस बात को प्राथमिकता दें कि जम्मू-कश्मीर में कैसे टेक्नोलॉजी का और विस्तार किया जाए। जब वहां डिजिटल कम्यूनिकेशन को ताकत मिलेगी, जब वहां BPO सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर बढ़ेंगे, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, उतना ही जम्मू-कश्मीर के हमारे भाई-बहनों का जीवन आसान होगा, उनकी आजीविका और रोजी-रोटी कमाने के अवसर बढ़ेंगे।

सरकार ने जो फैसला लिया है वो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उन नौजवानों को भी मदद करेगा, जो स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। नई स्पोर्ट्स एकैडमीज, नए स्पोर्ट्स स्टेडियम, साइंटिफिक इनवायर्नमेंट में ट्रेनिंग, उन्हें दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेगी।

जम्मू-कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां, लद्दाख के ऑर्गैनिक प्रॉडक्ट्स हों या फिर हर्बल मेडिसिन इसका प्रसार दुनिया भर में किए जाने का जरूरत है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लद्दाख में सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है। जानकारों का कहना है कि ये पौधा High Altitude पर रहने वाले लोगों के लिए, बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सुरक्षाबलों के लिए संजीवनी का काम करता है। कम ऑक्सीजन वाली जगह पर शरीर के इम्यून सिस्टम को संभाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। सोचिए, ऐसी अद्भुत चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए या नहीं? कौन हिन्दुस्तानी नहीं चाहता है और मैंने सिर्फ एक का नाम लिया है। ऐसे अनगिनत पौधे, हर्बल प्रॉडक्ट जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बिखरे पड़े हैं। उनकी पहचान होगी, उनकी बिक्री होगी तो इसका बहुत बड़ा लाभ वहां के लोगों को मिलेगा, वहां के किसानों को मिलेगा। इसलिए मैं देश के उद्यमियों से, Export से जुड़े लोगों से, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के स्थानीय Products को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए आगे आएं।

Union Territory बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास, भारत सरकार की स्वाभाविक जिम्मेदारी बनती है। स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और कारगिल की डवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से केंद्र सरकार, विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब

और तेजी से पहुंचाएगी। लद्दाख में स्पीरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इकोटूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनने की क्षमता है। सोलर पावर जनरेशन का भी लद्दाख बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। अब वहां के सामर्थ्य का उचित इस्तेमाल होगा और बिना भेदभाव विकास के लिए नए अवसर बनेंगे। अब लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे, वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा।

लोकतंत्र में ये भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है। मैं उनके मतभेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपत्तियों का भी। इस पर जो बहस हो रही है, उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है। समाधान करने का प्रयास भी कर रही है। ये हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देशहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख को नई दिशा देने में सरकार की मदद करें। देश कि मदद करें। संसद में किसने मतदान किया, किसने नहीं किया, किसने समर्थन दिया, किसने नहीं दिया, इससे आगे बढ़कर अब हमें जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के हित में मिलकर, एकजुट होकर काम करना है। मैं हर देशवासी को ये भी कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों की चिंता हम सबकी चिंता है, 130 करोड़ नागरिकों का चिंता है. उनके सुख-दुःख, उनकी तकलीफ से हम अलग नहीं हैं।

कुछ मुट्ठी भर लोग जो वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक जवाब भी वहां के हमारे भाई-बहन दे रहे हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में जम्मू-कश्मीर के ही देशभक्त लोग डटकर खड़े हुए हैं। भारतीय संविधान पर विश्वास करने वाले हमारे ये सभी-भाई बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं।

अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस समय ऐतिहास के तौर पर उठाए गए कदमों की वजह से जो भी परेशानी हो रही है, उसका मुकाबला भी वही लोग कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जो वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक जवाब भी वहां के हमारे भाई-बहन दे रहे हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में जम्मू-कश्मीर के ही देशभक्त लोग डटकर खड़े हुए हैं। भारतीय संविधान पर विश्वास करने वाले हमारे ये सभी-भाई बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं। हमें उन सब पर गर्व है। मैं आज जम्मू-कश्मीर के इन साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी।

ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीक ही है। ईद के लिए मेरी ओर से सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू-कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी न हो। हमारे जो साथी जम्मू-कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है।

आज इस अवसर पर मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनात अपने सुरक्षा बलों के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रशासन से जुड़े सभी लोग, राज्य के कर्मचारी और जम्मू-कश्मीर पुलिस जिस तरह से स्थितियों को संभाल रही है, वो बहुत बहुत प्रशंसनीय है। आपके इस परिश्रम ने मेरा ये विश्वास और बढ़ाया है, बदलाव हो सकता है।

जम्मू-कश्मीर हमारे देश का मुकुट है। गर्व करते है इसकी रक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर के अनेकों वीर बेटे-बेटियों ने अपना बलिदान दिया है, अपना जीवन दांव पर लगाया है। पुंछ जिले के मौलवी गुलाम दीन, जिन्होंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में भारतीय सेना को बताया था, उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, लद्दाख के कर्नल सोनम वानंचुग जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा दी थी, उन्हें महावीर चक्र दिया गया था, राजौरी की रुखसाना कौसर, जिन्होंने एक बड़े आतंकी को मार गिराया था, उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, पुंछ के शहीद औरंगजेब, जिनकी पिछले वर्ष आतंकियों ने हत्या कर दी थी और जिनके दोनों भाई अब सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे वीर बेटे-बेटियों की ये लिस्ट बहुत लंबी है। आतंकियों से लड़ते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनेक जवान और अफसर भी शहीद हुए हैं। देश के अन्य भू भाग से भी हज़ारों लोगों को हमने खोया है इन सभी का सपना रहा है- एक शांत, सुरक्षित, समृद्ध जम्मू-कश्मीर बनाने का। उनके सपने को हमें मिलकर पूरा करना है।

ये फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा। जब दुनिया के इस महत्वपूर्ण भूभाग में शांति और खुशहाली आएगी, तो स्वभाविक रूप से विश्व शांति के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। मैं जम्मू-कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों से लद्दाख के अपने भाइयों और बहनों से, आह्वान करता हूं।

आइए, हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें कि इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, यहां के लोगों का हौसला, उनका जज्बा कितना ज्यादा है। आइए, हम सब मिलकर नए भारत के साथ-साथ अब नए जम्मू-कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद !

जय हिंद !!! ■

चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने बी.एस. येदियुरप्पा

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री बी.एस. येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। राज्यपाल श्री वजुभाई वाला ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री येदियुरप्पा ने भगवान के नाम पर शपथ ग्रहण की। राजभवन में शपथ लेने से पूर्व उन्होंने काडू मल्लेश्वरा मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री बीएस येदियुरप्पा ने मल्लेश्वरम स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा समर्थकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कर्नाटक में सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए समर्थन देने और काम करने का वादा किया।

गत 29 जुलाई को कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। कांग्रेस-जेडी(एस) की गठबंधन सरकार गिरने के बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार को विश्वास मत हासिल करना था।

पहले सदन में बहुमत प्रस्ताव पेश करते हुए श्री येदियुरप्पा ने कहा, 'प्रशासन विफल हो गया है और हम उसे सही करेंगे। मैं सदन को भरोसा दिलाता हूं कि हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे।' किसानों के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा, 'सूखा पड़ा है। मैं किसानों के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है कि 2000 रुपये की दो किश्तें प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य की तरफ से दी जाएंगी। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि मिलकर काम करें। मैं सदन से अपील करता हूं कि एकमत से मेरे लिए भरोसा दिखाएं।' ■

भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 9 अगस्त को केंद्रीय मंत्रियों सर्वश्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेन्द्र सिंह तोमर को क्रमशः दिल्ली एवं हरियाणा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश माथुर और राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेंद्र यादव को क्रमशः झारखंड एवं महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। विदित हो कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, जबकि दिल्ली में अगले साल चुनाव होंगे। केंद्रीय मंत्री सर्वश्री हरदीप सिंह पुरी और नित्यानंद राय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये सह-प्रभारी होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और कर्नाटक के नेता श्री लक्ष्मण सावदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सह-प्रभारी होंगे। इससे पूर्व गत 31 जुलाई को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अविनाश राय खन्ना को जम्मू-कश्मीर प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया था। ■

प्रकाश जावड़ेकर

नरेन्द्र सिंह तोमर

भूपेंद्र यादव

ओमप्रकाश माथुर

अविनाश राय खन्ना

त्रिपुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भाजपा की भारी जीत, वामदलों का नहीं खुला खाता

त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भारी जीत दर्ज की। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने पंचायत चुनावों में 95 प्रतिशत सीटें पर जीत दर्ज की, जिनमें से 86 प्रतिशत सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए।

25 साल तक त्रिपुरा पर राज करने वाला वाम मोर्चा इन चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाया। कांग्रेस ने इन चुनावों में लगभग 2 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की।

राज्य में 27 जुलाई, 2019 को पंचायत चुनाव हुए जिसमें 76.63 प्रतिशत मतदान हुआ और 30 जुलाई को इन चुनावों के परिणाम घोषित किए गए।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 591 ग्राम पंचायतों की 6,111 सीटों, पंचायत समितियों की 419 सीटों और त्रिपुरा के आठ जिला परिषद निकायों में 116 सीटों पर मतदान की घोषणा की गई थी। जिसमें से भाजपा ने 5916 पंचायत सीटें, 411 पंचायत समिति सीटें और 114 जिला परिषद सीटें जीतीं।

ग्राम पंचायतों की 833 सीटों के अलावा, पंचायत समिति की 82 सीटें और जिला परिषद की 79 सीटें अन्य सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशियों का चयन हुआ।

नतीजों के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपुरा के भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए ट्वीट कर कहाः

त्रिपुरा का भाजपा पर विश्वास अटूट है! मैं पंचायत चुनावों में पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद देता हूं। त्रिपुरा के ग्रामीण इलाकों में परिवर्तनकारी कार्य सकारात्मक रूप से कई लोगों को प्रभावित कर रहे है। हार्डवर्क के लिए स्थानीय इकाई को बधाई!

प्रधानमंत्री ने आगे कहाः मैं अन्य राज्यों के भाजपा कार्यकर्ताओं से त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का आग्रह करूंगा। राज्य में पार्टी की बार-बार सफलताओं से विकास की राजनीति और लोकतांत्रिक स्वभाव का प्रदर्शन होता है। यह दर्शाता है कि सही प्रयास से सब कुछ संभव है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी त्रिपुरा के भाजपा कार्यकर्ताओं को शानदार जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहाः त्रिपुरा को एक और शानदार जीत के लिए धन्यवाद। पंचायत चुनावों में पार्टी के लिए भारी जनादेश राज्य सरकार और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शुरू की गई विकास परियोजनाओं के लिए एक समर्थन है। मुख्यमंत्री बिप्लवजी और त्रिपुरा भाजपा कार्यकर्ता को बधाई।

त्रिपुरा के लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर समर्थन देने के लिए उनका धन्यवाद करते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहाः त्रिपुरा की जनता ने पंचायत चुनाव में त्रिपुरा भाजपा को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री बिप्लवजी को बधाई देता हूं जिनके नेतृत्व में त्रिपुरा में तेज गति से हो रहे विकास कार्यों ने जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। ■

भाजपा का खुद से ही मुकाबला, दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम तक लहराएंगे परचमः नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भाजपा के मुकाबले में देश में कोई पार्टी नहीं है। आज भाजपा का मुकाबला खुद से ही है। देश को कांग्रेस मुक्त करने के बाद भाजपा युक्त बनाना है। हमें दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक भगवा लहराना है।

वह गत 28 जुलाई को रोहतक में नई अनाज मंडी में भाजपा के राज्यस्तरीय शक्ति केंद्र प्रधान और पालकों के राज्यस्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साढ़े 19 हजार बूथ पर मजबूती से तैनात शक्ति केंद्र प्रमुख, पालक से रूबरू होने का हरियाणा से पहला न्यौता मिला। इसमें शामिल होकर बहुत खुशी मिली है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की कार्यकर्ताओं की बदौलत भाजपा को लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत मिली। इस जीत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व, श्री अमित शाह की संगठन क्षमता, श्री मनोहर लाल की लोकप्रिय सरकार के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं का अहम योगदान था। आज के वातावरण को देखते हुए कह सकता हूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा 75 प्लस सीटें हासिल करने में कामयाब होगी।

श्री नड्डा ने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं के सर्वस्व न्यौछावर करने की नींव पर आज भाजपा आगे बढ़ रही है। हमें यह सब याद रखना है और उनसे प्रेरणा लेनी है। हमेशा याद रखना और गर्व करना चाहिए कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से लोग अनेक कारणों से बाई च्वाइस व बाई चांस भाजपा में आए हैं। वे जिस कारण से भी आएं हों, लेकिन इतना तय है कि बहुत वे सही जगह आए हैं।

उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा मुकाबला खुद से है। इस बार हम 20 करोड़ सदस्य का लक्ष्य लेकर चले हैं, जिसे पूरा करना है। अन्य राजनीतिक दलों में कोई परिवार की राजनीति कर रहा है तो कोई जाति के नाम पर सियासत कर रहा है। लेकिन, यहां साधारण कार्यकर्ता राजनीति के चरम पर पहुंच रहा है। भाजपा में हर तीन साल में अध्यक्ष चयन, सदस्यता प्रक्रिया होती है, यह हमारे जोश के कारण है।

श्री नड्डा बोले, 'अमित शाह जी कहते हैं कि भाजपा का सबसे अच्छा राज आना अभी बाकी है। हमें दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक भगवा लहराना है। जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी है। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों का यह हाल है कि किसी राजनीतिक दल के पास नेता है तो नीति नहीं, नेता-नीति है तो नीयत नहीं, अगर तीनों होंगे तो कार्यकर्ता नहीं होंगे। अकेला भाजपा ऐसी पार्टी है, जिसके पास यह सभी है। हमें देश सेवा और जनता सेवा में रत होना है।

श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा का मतलब जनता को ध्यान में रखकर जनता की सेवा करना और इसके लिए सर्वस्व त्यागना है।

हमें देश को कांग्रेस मुक्त भारत से आगे भाजपा युक्त भारत बनाना है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। इसके साथ ही भाजपा युक्त भारत का मतलब आयुष्मान भारत, उज्ज्वल, सौभाग्य, सक्षम भारत है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 1.95 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने की दिशा में है। हर घर में गैस कनेक्शन व शौचालय सुनिश्चित करना है। वर्ष 2022 तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मनोहर सरकार के निर्णयों की भी प्रशंसा की और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की खास चर्चा की। ■

'तीन तलाक' कुरीति समाप्त
मुस्लिम महिलाओं को मिली आजादी

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने एक अगस्त को संसद में पारित तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे अब यह एक कानून के रूप में तब्दील हो गया है। यह कानून 21 फरवरी को इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा।

यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। गौरतलब है कि तीन तलाक बिल संसद के दोनों सदनों से पहले ही पास हो चुका है। मोदी सरकार ने इस बिल को 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा में पास करवाया। इस विधयेक को राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित किया। बिल के कानून बनने के बाद 19 सितंबर 2018 के बाद जितने भी मामले में तीन तलाक से संबंधित आए हैं, उन सभी का निपटारा इसी कानून के तहत किया जाएगा।

नया कानून-मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 मुस्लिम पति द्वारा दिए जाने वाले तलाक ए बिद्दत यानी कि तीन तलाक को गैरकानूनी बताता है। कानून कहता है कि अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक रूप से, लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी भी अन्य विधि से तलाक ए बिद्दत देता है तो यह अवैध माना जाएगा।

तलाक ए बिद्दत में कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तात्कालिक रूप से तीन बार 'तलाक' बोलकर उससे संबंध खत्म कर लेता है। कानून में 'तीन तलाक' देने वाले मुस्लिम पुरुष को तीन साल तक की कैद हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 'तीन तलाक' से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त पाने की हकदार होगी। इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा।

राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक प्रसिद्ध न्यायाधीश आमिर अली ने 1908 में एक किताब लिखी है। इसके अनुसार तलाक ए बिद्दत का पैगंबर मोहम्मद ने भी विरोध किया है।

श्री प्रसाद ने कहा कि एक मुस्लिम आईटी पेशेवर ने उनसे कहा कि तीन बेटियों के जन्म के बाद उसके पति ने उसे एसएमएस से तीन तलाक कह दिया है। उन्होंने कहा ''एक कानून मंत्री के रूप में मैं उससे क्या कहता? क्या यह कहता कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मढ़वा कर रख लो। अदालत में अवमानना का मुकदमा करो। पुलिस कहती है कि हमें ऐसे मामलों में कानून में अधिक अधिकार चाहिए।"

उन्होंने शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा लाये गये विधेयक का जिक्र करते हुए कहा, ''मैं नरेन्द्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का कानून मंत्री नहीं हूं।" उन्होंने कहा कि यदि मंशा साफ हो तो लोग बदलाव की पहल का समर्थन करने को तैयार रहते हैं।

श्री प्रसाद ने कहा कि जब इस्लामिक देश अपने यहां अपनी महिलाओं की भलाई के लिए बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो हम तो एक लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हमें यह काम क्यों नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा कि तीन तलाक से प्रभावित होने वाली करीब 75 प्रतिशत महिलाएं गरीब वर्ग की होती हैं। ऐसे में यह विधेयक उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है।

श्री प्रसाद ने कहा कि हम ''सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास" में भरोसा करते हैं और इसमें हम वोटों के नफा नुकसान पर ध्यान नहीं देंगे और सबके विकास के लिए आगे बढ़ेंगे और उन्हें (मुस्लिम समाज को) पीछे नहीं छोड़ेंगे।

एक पुरातन और मध्यकालीन परंपरा इतिहास में दफन हो गई: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 को पारित कराने में सहयोग देने वाले सभी राजनीतिक दलों और सांसदों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इससे उनके लिए अवसर बढ़ गए हैं और यह कदम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने इस संबंध में कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा, 'एक पुरातन और मध्यकालीन परंपरा इतिहास में दफन हो गई। संसद ने तीन तलाक को खत्म कर दिया और मुस्लिम महिलाओं के प्रति हुई ऐतिहासिक गलती को सुधार दिया गया। यह लैंगिक न्याय की जीत है और इससे समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा। भारत आज प्रफुल्लित है!'

उन्होंने ट्वीट किया, 'यह मुस्लिम महिलाओं के असाधारण साहस को सलाम करने का अवसर है, जिन्हें तीन तलाक की प्रथा के कारण भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तीन तलाक की प्रथा खत्म होने से महिलाओं के सशक्तिकरण में इजाफा होगा और महिलाओं को समाज में वह गरिमा प्राप्त होगी, जिसकी वे हकदार हैं।'

मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के अभिशाप से छुटकारा मिला: अमित शाह

तीन तलाक विधेयक के पारित होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि मैं संसद के उच्च सदन, राज्य सभा द्वारा तीन तलाक की कुप्रथा पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लाये गए ऐतिहासिक मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल के पारित होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, क़ानून मंत्री, मंत्रिमंडल

और लोक सभा एवं राज्य सभा के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही, देश भर की मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के अभिशाप से छुटकारा मिलने पर बधाई देता हूं।

श्री शाह ने कहा कि ट्रिपल तलाक पर बैन के इस ऐतिहासिक निर्णय से मोदी सरकार ने देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप बने तीन तलाक से उन्हें मुक्ति देकर समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। इस विधेयक को पास करा कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है, अपने वादे को पूरा कर दिखाया है। यह न्यू इंडिया है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम करता है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। ट्रिपल तलाक पर बैन इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जो मुस्लिम महिलाओं के जीवन में आशा और सम्मान का नया युग लाएगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इस विधेयक के पारित होने से मुस्लिम महिलाओं के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे जिससे वे 'न्यू इंडिया' के निर्माण में प्रभावी भूमिका अदा कर सकेगी।

श्री शाह ने कहा कि मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी दो-दो बार प्रयास हुए थे लेकिन जबकि कांग्रेस पार्टी के दोहरे रवैये, विरोध और महिला विरोधी मानसिकता के कारण राज्य सभा में यह विधेयक पास नहीं हो सका था जिसके चलते सरकार को मुस्लिम महिलाओं के अधिकार व सम्मान की रक्षा के लिए अध्यादेश लाना पड़ा था।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक उन सभी राजनीतिक दलों के लिए भी एक आत्मग्लानि एवं आत्मचिंतन का विषय है जिन्होंने अपनी वोटबैंक की राजनीति के लिए दशकों से मुस्लिम समाज की महिलाओं को इस कुप्रथा से प्रताड़ित होने को मजबूर किया और इस विधेयक को पारित होने की राह में रोड़े अटकाये रखा।

श्री शाह ने कहा कि ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज पर विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित किया जाना मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाओं के समानता और मूलभूत संवैधानिक अधिकारों की जीत सुनिश्चित हुई है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं को मिले उनके अधिकारों एवं सम्मान का स्वागत करती है तथा इसे संकल्पवान 'न्यू इंडिया' के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखती है।

यह बदलते भारत की शुरुआत है: जगत प्रकाश नड्डा

तीन तलाक विधेयक के पारित होने पर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राज्य सभा द्वारा तीन तलाक पर प्रतिबंध को लेकर लाये गए ऐतिहासिक मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल के पारित होने पर मैं देश भर की मुस्लिम बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनके सम्मान के लिए कटिबद्ध होकर काम करने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, क़ानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एवं दोनों सदनों के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा क्योंकि आज सदियों से चली आ रही तीन तलाक की कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाने के प्रयास सफल हुआ है और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। यह बदलते भारत की शुरुआत है जिसका संकल्प 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' है।

श्री नड्डा ने कहा कि ट्रिपल तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाकर मोदी सरकार ने उन्हें सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं मुस्लिम बहनों को मिले उनके अधिकार एवं गरिमा का स्वागत करते हुए उनके मंगल भविष्य की कामना करती है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने शुरुआत से ही ट्रिपल तलाक को ख़त्म करने की मुहिम चलाई लेकिन कांग्रेस एवं उसकी सहयोगी पार्टियों की महिला विरोधी नीतियों के कारण 2017 और 2018 में लोक सभा से पारित होने के बावजूद राज्य सभा से इसे पारित नहीं कराया जा सका। इस बार पुनः मोदी सरकार ने 25 जुलाई 2018 को पारित कराया और आज राज्य सभा से भी इसे 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित कर दिया गया।

श्री नड्डा ने कहा कि ट्रिपल तलाक पर बैन से मुस्लिम महिलाओं को समाज में समान रूप से सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। मोदी सरकार में आज देश की महिलायें खुद को आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ■

देश में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हुई

भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि: नरेन्द्र मोदी

विश्व बाघ दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 जुलाई को नई दिल्ली में अपने आवास पर बाघों के अखिल भारतीय अनुमान-2018 के चौथे चक्र के परिणाम जारी किए। सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई।

प्रधानमंत्री ने इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और बाघों के संरक्षण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। श्री मोदी ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य कर रहे विभिन्न हितधारकों की गति और समर्पण की सराहना की। उन्होंने इसे संकल्प से सिद्धि का एक उत्तम उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भारत की जनता जब एक बार कुछ करने की ठान लेती है, तो कोई भी ताकत उसे वांछित परिणाम हासिल करने से रोक नहीं सकती।

प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 3000 बाघों के साथ भारत आज सबसे बड़ा और सुरक्षित प्राकृतिक वास हो गया है। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आगे का रास्ता चयनात्मकता की बजाय सामूहिकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक आधार और समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच स्वस्थ संतुलन कायम करना संभव है। उन्होंने कहा, 'हमारी नीतियों, हमारी अर्थनीतियों में, हमें प्राकृतिक संरक्षण के बारे में अपनी संवादात्मक भूमिका को बदलना होगा।'

भारत अपने नागरिकों के लिए कुछ और मकानों का निर्माण करेगा और साथ ही जीव-जंतुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक वास भी बनाएगा। भारत के पास एक आकर्षक समुद्री अर्थव्यवस्था और एक स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी होगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह संतुलन एक मजबूत और समग्र भारत के लिए योगदान देगा।

प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध होगा; भारत और अधिक सड़कों का निर्माण करेगा और उसकी नदियां साफ होंगी; भारत के पास बेहतर ट्रेन संपर्क होगा और पेड़ों की अधिक संख्या होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के लिए कार्य की गति तेज हुई है, देश में वन क्षेत्र भी बढ़ा है। 'संरक्षित क्षेत्रों' में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में 692 संरक्षित क्षेत्र थे, जिनकी संख्या 2019 में बढ़कर 860 से अधिक हो गई है। 'सामुदायिक शरणस्थलों' की संख्या भी बढ़कर 100 हो गई है, जो 2014 में केवल 43 थी।

उन्होंने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को 'स्वच्छ ईंधन आधारित' और 'नवीकरणीय ऊर्जा आधारित' बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि 'कचरा' और 'बायोमास' भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा तैयार करते हैं। उन्होंने एलपीजी कनेक्शनों और एलईडी बल्बों के लिए क्रमशः उज्ज्वला और उजाला जैसी योजनाओं में हुई प्रगति का जिक्र किया। अंत में, प्रधानमंत्री ने बाघों के संरक्षण की दिशा में अधिक प्रयास करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु संरक्षण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु संरक्षण राज्य मंत्री श्री बाबूल सुप्रियो और मंत्रालय में सचिव श्री सी.के. मिश्रा मौजूद थे। ■

सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 4 अगस्त को चंदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से सीधा हवाई लक्ष्य के विरुद्ध अत्याधुनिक त्वरित प्रतिक्रिया सतह-से-वायु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

डीआरडीओ द्वारा विकसित दो मिसाइलों का परीक्षण दो सीधा लक्ष्यों के विरुद्ध किया गया जो सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ सुसज्जित क्यूआरएसएएम ने विभिन्न रेंजों एवं ऊंचाइयों पर लक्ष्य को पूरा किया। इन प्रणालियों का परीक्षण एक वाहन पर लगे रडार एवं लॉन्चर पर मिसाइलों के साथ अंतिम कनफिग्रेशन के साथ किया गया है।

ये प्रणालियां स्वदेशी रूप से निर्मित फेज्ड ऐरे रडार, इनर्सियल नेविगेशन सिस्टम, डाटा लिंक एवं आरएफ सिकर से सुसज्जित हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल करने पर डीआरडीओ एवं उद्योगों को बधाई दी। ■

परकीय प्रेरणास्रोत देश में स्वावलंबन की प्रेरणा नहीं जगा सकता

दीनदयाल उपाध्याय

देश में जब तक अंग्रेज़ों का राज्य चलता था, तब तक सबके लिए राष्ट्रीय दृष्टि से एकत्र करने का सुगम ध्येय उपस्थित था और वह था अंग्रेज़ी राज्य हटाना। इस विषय में विचार विभिन्नता भले हो, किंतु एक सरल बात सबकी समझ में आती थी कि जब तक अंग्रेज़ों का राज्य समाप्त नहीं होगा, तब तक हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे और जितने भी प्रश्न, जितनी भी समस्याएं इस समय राष्ट्र के सम्मुख दिखाई देती हैं, उन पर सभी का मत एक था कि वे या तो परकीय राजसत्ता के कारण उत्पन्न हुई हैं या अंग्रेज़ों के भारत में रहने के कारण। उन समस्याओं का निराकरण हम लोग ठीक प्रकार से अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी प्रकृति एवं प्रतिभा के अनुरूप नहीं कर सकते थे। देश की परतंत्रता हमारे प्रयत्नों में बाधास्वरूप थी। उस बाधा को हटाने के बाद अब हम जब स्वतंत्र हुए तो सबके सामने प्रश्न आया कि इस स्वतंत्रता का क्या करें? अब तो जो कुछ करना है, हमें ही करना है, कोई ऐसी परकीय सत्ता नहीं, जो हमें अपने जीवन का अपनी इच्छा के अनुसार निर्माण करने से रोके। इसलिए स्वतंत्र जीवन की योग्य कल्पना अभिप्रेत है।

वादों के वात्याचक्र

जब हम यह सोचते हैं कि अपने जीवन का स्पष्ट चित्र सामने होना चाहिए, तब यह प्रश्न भी उठता है कि जिस राष्ट्र के वैभव की हम कल्पना करते हैं, वह वैभव है क्या? बहुत से लोग हैं तो इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं, किंतु अभी तक जो उत्तर दिए गए हैं, उन उत्तरों में एक बात यह तो दिखाई देती है कि वे उत्तर प्रायः बाहर की जीवन पद्धतियों के आधार पर ही दिए गए हैं, अर्थात् कोई समाजवादी आधार पर चलने वाली सामज रचना चाहता है तो कोई साम्यवादी और कोई समाजवाद के साथ व्यक्ति स्वातंत्र्य का मेल बिठाकर प्रजातांत्रिक पद्धति निर्माण करना चाहता है। कोई-कोई प्रजातांत्रिक समाजवाद की भी आकांक्षा रखते हैं। इसी प्रकार के अनेक वाद आज अपने यहां दिखाई दे रहे हैं।

राष्ट्र का स्वाभिमान

हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि यह सब जितने भी प्रयत्न हो रहे हैं, ये प्रयत्न उचित भी हैं? इन प्रयत्नों की सफलता से हम अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा भी सकेंगे? जब इस पर विचार करते हैं तो प्रथम विचार यह आता है कि ये बाहर के जितने भी वाद हैं, इन वादों को लेना भी अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के अनुकूल नहीं है। स्वाभिमान हृदय की एक भावना है। मैं समझता हूं कि यह भाव राष्ट्र और व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक भी है। लोग कह सकते हैं कि इसके बीच में क्यों स्वाभिमान का झगड़ा खड़ा करते हो, अगर कोई चीज़ अच्छी है, भली है, लाभ की है तो वह कहीं से भी लेनी चाहिए। फिर उसमें एक अहंकार लाकर खड़ा करना कि नहीं, नहीं यह तो दूसरे का है, इसको हम नहीं लेंगे, यह बुद्धिमानी नहीं। पर यह सब सुनने के बाद भी यह तो मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अभिमान जैसी कोई वस्तु होती अवश्य है। शायद वही एक ऐसी चीज़ है, जिसने हमको बहुत सी बातों में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित भी किया है। हम विचार करके देखें कि क्योंकि हमारा अपना ध्वज था, इसलिए परकीय ध्वज बदला। यदि 'यूनियन जैक' ही लगा रहता तो क्या बात थी? पर नहीं, हमने अपना नया ध्वज बना लिया, यह हमारे स्वाभिमान का परिचायक है।

कहीं पर अहं भी आवश्यक

आज भी लोग कहते हैं कि सड़कों के अंग्रेजी नाम भी बदल जाने चाहिए। इससे राष्ट्र का स्वाभिमान प्रकट होता है। जीवन में कोरे बुद्धिवाद से काम नहीं चलता। कहीं न कहीं व्यक्तिगत जीवन में ममता होती है, उसमें अपनापन होता है। उस अपनेपन में अहं का भाव भी होता है। यह अहं का भाव अभिमान से भिन्न एवं आवश्यक होता है और उसके आधार पर जीवन के अनेक प्रश्नों पर निर्णय लेने पड़ते हैं। यहां तक कि बहुत बार ऋषियों और मुनियों ने भी कहा-यह मेरा-तेरा का सवाल मत खड़ा करो।

किंतु व्यवहार में मेरा-तेरा का सवाल आता है। इतना ही नहीं, कई बार यह सवाल आवश्यक भी लगता है। उदाहरणार्थ, हम कहते हैं कि सभी स्त्रियां माता के समान हैं और स्त्रियों के लिए मनुष्य पुत्रवत् हैं, किंतु यह व्यावहारिक नहीं है। व्यवहार शास्त्र तो यह बताता है कि अपनी मां की चिंता करो और माता को यह बतलाता है कि वह अपने पुत्र का लालन-पालन करे। यदि कोई माता अपने पुत्र को दूध पिलाना छोड़कर सभी को अपना पुत्र माने और इधर-उधर दूध पिलाती फिरे, तो हम परिणाम की कल्पना आसानी से कर सकते हैं।

आदान-प्रदान संहिता

राष्ट्रों में भी 'मेरे-तेरे' का भाव आता है। किसी राष्ट्र की अस्मिता में बुद्धिवाद घुसेड़ने पर उस राष्ट्र की अस्मिता को चोट लगती है, उसके

राष्ट्रत्व को आघात लगता है राष्ट्रीयता का विनाश होता है। इसलिए राष्ट्र की अस्मिता को जीवित रखने के लिए हमें विचार करना होता है। यहां तक कि यदि कोई चीज़ बाहर से लेनी भी होती है तो उसको इस रूप में लेते हैं कि वह अपनी लगे। उसे विजातीय रूप में स्वीकार करना घातक होता है, यह सर्व सत्य है।

कुटुंबों के बीच

सृष्टि में यह आदान-प्रदान चलता ही रहता है, सब लोग लेते रहते हैं और देते रहते हैं। हमने दुनिया को बहुत सा दिया और बहुत सा लिया। जीवन में यह क्रम चलता ही रहेगा। हां, मनुष्य प्रयास करता है कि जिसको वह लेता है, उसको अपना बनाकर लेता है और यदि यह न हुआ तो वह उसकी चिंता करता है। हम विचार करके देखें कि जैसे हमारे अपने कुटुंब हैं, उनमें कोई भी कुटुंब यह दावा नहीं कर सकता कि हमारे घर में कोई भी प्राणी, कोई भी मानव दूसरे कुटुंब का नहीं आया। जब व्यवहार होता है तो दूसरे कुटुंब से ही होता है। कोई कहे कि हमारा अपना छोटा सा परिवार है हम उसी में रहेंगे। जीवन के सारे व्यवहार अपने कुटुंब के भीतर ही करेंगे, तो यह नहीं हो सकता, यदि ऐसा करेंगे तो पाप होगा, अर्थात् विवाह-संस्कार तो दूसरे परिवारों से ही होते हैं किंतु जो कुटुंब वर या कन्या को अपने यहां लाता है, उसे अपना बनाकर लाता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो गड़बड़ होना स्वाभाविक होता है।

स्वामी भी नहीं, दास भी नहीं

जितने भी सर्वसाधारण व्यवहार हैं, उनमें इसी प्रकार का आदान-प्रदान चलता रहता है, पर यदि हमने इसके विपरीत किया तो दूसरे कुटुंब में से अपने यहां किसी को लाने की दो विधियां हो सकती हैं। या तो हम उसे मालिक बनाकर लाएं या फिर दास बनाकर। पहली पद्धति के अनुसार अपने यहां अंग्रेज़ थे और दूसरी पद्धति के अनुसार अमरीका में 'नीग्रो जाति'। ये दोनों ही पद्धतियां किसी राष्ट्र-जीवन के लिए उपयुक्त नहीं। मालिक बनकर रहे तो वह परतंत्रता होगी। जैसे अंग्रेज़ यहां रहे तो उनको हटाना आवश्यक हो गया। ऐसी स्थिति में परकीय बनकर रहने वालों का प्रेरणा केंद्र बाहर का होता है और उससे राष्ट्र की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को हर बात की चिंता करनी पड़ती है कि प्रेरणा का केंद्र स्रोत अपने यहां का ही होना चाहिए, यदि वह परकीय रहा तो परिस्थिति घातक एवं विनाशक हो जाती है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ■

-पाञ्चजन्य, सितंबर 12, 1960 (क्रमशः)

प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया भारत रत्न

पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध समाजसेवी नानाजी देशमुख और गायक श्री भूपेन हजारिका को 8 अगस्त को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री प्रणब मुखर्जी, श्री हजारिका के बेटे श्री तेज और नानाजी देशमुख के करीबी रिश्तेदार श्री विरेंद्रजीत सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री हजारिका और श्री देशमुख को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया।

राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री श्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न से नवाजा जाना राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए उचित सम्मान है। श्री मोदी ने ट्वीट किया, ''भारत को और अधिक विकसित बनाने की खातिर कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए आपको धन्यवाद।...आपको भारत रत्न लेते हुए देखना सम्मान की बात है...आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है, यह उसके लिए उचित सम्मान है।" ■

तीन तलाक का दंश झेल रही महिलाओं को मिलेगा संरक्षण

अमित शाह

भारत के संसदीय इतिहास में 30 जुलाई, 2019 की तारीख एक अहम पड़ाव के रूप में दर्ज हुई। उच्च सदन में ऐतिहासिक तीन तलाक बिल पारित होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के न्याय और सम्मान की दिशा में एक ऐसी सफलता हासिल हुई जिसकी प्रतीक्षा दशकों से थी। विपक्ष के तमाम गतिरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इसे पूरा करने की दिशा में प्रयास जारी रखे और अंततः कामयाबी पाई। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून प्रभाव में आ गया है।

तीन तलाक बिल पर हुई चर्चा

यह तीन तलाक जैसी कुप्रथा का दंश झेल रही महिलाओं को संरक्षण प्रदान करेगा। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर हुई चर्चा और उसके पारित होने की प्रक्रिया को बारीकी से देखें तो अनेक बिंदु उभरते हैं। इस बिल को महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और गरिमायुक्त जीवन के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। यह विपक्ष के दोहरे मानदंडों को उजागर करने वाला भी रहा।

जन सरोकार से जुड़ा था यह बिल

तीन तलाक बिल पर चर्चा ने उन दलों के वास्तविक चरित्र को उजागर किया जिनके लिए महिलाओं के आत्मसम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण वोटबैंक का तुष्टीकरण है। एक अन्य तथ्य यह भी उभरा कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की कांग्रेस की क्षमता क्षीण हुई है। जब जन सरोकार से जुड़े विषय पर कोई सरकार मजबूती से कदम उठाती है तो एक बड़े वर्ग का समर्थन स्वाभाविक होता है। तीन तलाक बिल जन सरोकार और सामाजिक सुधार से जुड़ा था इसलिए कई गैर राजग दलों ने भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहयोग दिया, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम विभिन्न दलों से अनुरोध करते हैं कि उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर सुधारवादी कार्यों में सहयोग करना चाहिए।

तीन दशक पूर्व शाहबानो का मामला

तीन दशक पूर्व एक अवसर तब आया था जब शाहबानो मामले में 400 से अधिक सांसदों वाली कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं को इस दंश से मुक्त करा सकती थी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक से पीड़ित शाहबानो के पक्ष में फैसला देते हुए उसे 500 रुपये प्रति माह के गुजारा भत्ते का प्रावधान रखते हुए कहा था कि यह फैसला शरीयत के अनुसार है। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलवियों और वोट बैंक की राजनीति के दबाव में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अदालत के आदेश के विपरीत फैसला लिया। तब कांग्रेस के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, जो कोर्ट के आदेश को तर्कसंगत मानते थे, ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीआर कृष्णा अय्यर ने पत्र लिखकर राजीव गांधी के फैसले को कानून के खिलाफ बताया, किंतु वर्षों तक यह मुद्दा ठंडे बस्ते में रहा।

बिल ने उदारवादियों की पोल खोल दी

मोदी सरकार आने के बाद इस विषय को जब दोबारा लाया गया तब भी कांग्रेस के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। तीस साल पहले कांग्रेस का जो रुख था वही इस बार भी सदन की चर्चा और वोटिंग के समय देखने को मिला। कांग्रेस की यह विडंबनात्मक स्थिति उसके राजनीतिक चरित्र को ही दिखाती है। इस बिल ने तथाकथित उदारवादियों की भी पोल खोल दी। महिला अधिकारों के लिए आए दिन तख्तियां लहराने वाले कथित उदारवादी खेमे के लोग मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा से मुक्ति के इस कदम पर मौन हो गए या उसका विरोध करने लगे। इससे साबित हुआ कि उनकी उदारता मानवीय मूल्यों से नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है।

ढाई सौ से अधिक मामले आए सामने

तीन तलाक संबंधी कानून पर प्रश्न उठाने वाले भूल जाते हैं कि अगस्त 2017 में कोर्ट द्वारा उस पर पाबंदी लगाने के बाद भी ढाई सौ से अधिक मामले सामने आए। इससे साफ हो गया कि बिना कानून लाए इस कुरीति से मुस्लिम बहनों के हितों की रक्षा नहीं हो सकती। तीन तलाक को लेकर जिन महिलाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी वे किसी दल से प्रेरित नहीं थीं, बल्कि आम महिलाएं थीं।

राजनीतिक दलों का दायित्व

इस कुप्रथा से त्रस्त महिलाओं ने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जीत भी हासिल हुई। हमारी सरकार इन महिलाओं के संघर्ष में हमेशा साथ रही

और तीन तलाक पर कानून लाकर उनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। राजनीतिक दलों का यह दायित्व होता है कि वे जनसामान्य की आवाज को उचित स्वरूप देकर आगे बढ़ें। संसद का भी यह काम होता है कि समय और आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों व नियमों का निर्माण करे। इस मामले में हमारी पार्टी और सरकार के साथ संसद ने भी अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन किया।

पाकिस्तान, ईराक जैसे देशों में अमान्य है तीन तलाक

यदि तीन तलाक ईरान, इराक, सीरिया और पाकिस्तान जैसे 19 देशों में अमान्य है तो इसका यही कारण है कि वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के बीच दकियानूसी परंपराओं को लेकर नहीं चल सकते। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में महिलाओं के अधिकारों एवं गरिमा का हनन करने वाली इस कुप्रथा का बने रहना शर्मनाक था। विपक्षी दलों की यह आपत्ति निराधार है कि इसे सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए क्यों किया जा रहा?

कुरीति के खिलाफ कानून

भले ही आज हम मुस्लिम समाज के बीच व्याप्त इस कुरीति के खिलाफ कानून बनाने के लिए खड़े हुए हों, लेकिन इससे पूर्व अन्य धर्मों में भी सुधार किए गए। वह चाहे बाल विवाह का अधिनियम हो हिंदू विवाह अधिनियम हो, दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून हो अथवा ईसाई अधिनियम हो। इस तरह के कानूनी परिवर्तन और सुधार सब धर्मों में किए जाते रहे हैं। यह अलग बात है कि सुविधा की बहस और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को यह दिखाई नहीं देता अथवा वे देखकर भी अनदेखा करना चाहते हैं। तीन तलाक संबंधी कानून में दंडात्मक प्रावधान को लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं है।

दैनिक जागरण

सजा का प्रावधान कोई नई बात नहीं

यह पहली बार नहीं कि किसी सिविल मामले में कानून बना कर उसमें दंड का प्रावधान किया गया हो। अन्य सिविल मामलों में भी दंड का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर दहेज लेने पर कम से कम पांच वर्ष, दहेज मांगने पर छह महीने का कारावास, शादीशुदा रहते हुए दोबारा विवाह करने पर सात वर्ष की सजा और बाल विवाह पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। ये सभी कानून हिंदू समाज के लिए कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में बने। स्पष्ट है कि तीन तलाक संबंधी कानून में सजा का प्रावधान होना कोई नई बात नहीं है। महिला अधिकारों और जीवन जीने की गरिमा का हनन करने वाले व्यक्ति में दंड का भय होना ही चाहिए, किंतु इस मामले में कांग्रेस का रुख तुष्टीकरण की राजनीति वाला रहा।

मोदी सरकार हुई कामयाब

तीन तलाक को लेकर हुआ यह परिवर्तन हो या पूर्व में अन्य मामलों में न्यायालय के निर्णय से हुआ परिवर्तन हो, इस तरह के परिवर्तन को हमें समझना, स्वीकारना और संभालना होगा। इस संदर्भ में हमारी संसद एक बेहतर उदाहरण है। हमारी सामूहिक सोच और चिंतन का नाम ही संसद है, जहां एक ही मुद्दे पर विविध विचारों से गुजरते हुए आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। तमाम गतिरोध के बावजूद मोदी सरकार इसमें कामयाब हुई। मोदी सरकार बधाई की पात्र है कि उसने तीन तलाक पर न केवल मजबूत कानून लाने का साहसिक फैसला किया, बल्कि तमाम विरोध के बावजूद दृढ़ता से आगे बढ़ती रही।

पीएम मोदी का नाम सामाजिक सुधारकों की श्रेणी में

तीन तलाक संबंधी कानून बनने के बाद इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम निश्चित रूप से राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर सरीखे सामाजिक सुधारकों की श्रेणी में रखा जाएगा। तीन तलाक संबंधी कानून मुस्लिम महिलाओं के हितों और अधिकारों की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। अब उनके लिए एक नए युग का आरंभ होगा और तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के अंत की शुरुआत होगी। ■

(लेखक केंद्रीय गृहमंत्री हैं)

नहीं रहीं सुषमा स्वराज

(14 फ़रवरी 1952 – 6 अगस्त 2019)

पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का 6 अगस्त को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 67 वर्ष की थीं। चार दशक के लंबे बेदाग राजनीतिक जीवन के बाद उन्होंने स्वयं को राजनीति से अलग कर लिया। वह हिन्दी एवं अंग्रेजी की असाधारण वक्ता थीं जो श्रोताओं पर गहरा प्रभाव छोड़ती थीं। विदेश मंत्री के रूप में श्रीमती सुषमा ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में संकट में फंसे भारतीयों को निकालने में सराहनीय भूमिका निभायी।

जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने और राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में बांटने के सरकार के कदम से बेहद प्रसन्न श्रीमती सुषमा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी। श्रीमती सुषमा ने ट्वीट किया था, ''नरेन्द्र मोदी जी- धन्यवाद प्रधानमंत्री। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने जीवनकाल में यह दिन देखने का इंतजार कर रही थी।"

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला सहित तमाम नेताओं ने पूर्व विदेशमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी श्रीमती सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी।

जीवन परिचय

श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म 14 फ़रवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। क़ानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में श्रीमती सुषमा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। श्रीमती सुषमा 1977 में न केवल हरियाणा विधानसभा की सदस्य चुनी गयी, बल्कि 25 वर्ष की उम्र में वह हरियाणा सरकार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनीं।

वह तीन बार...अप्रैल 1990 से अप्रैल 1996, फिर अप्रैल 2000 से अप्रैल 2006 तथा उसके बाद अप्रैल 2006 से मई 2009 तक राज्यसभा की सदस्य रहीं। वह चार बार लोकसभा सदस्य रहीं। वह केन्द्र में विदेश मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भी रहीं।

वह लोकसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनीं। वह पहली महिला थीं जिन्हें असाधारण सांसद का खिताब मिला। वह 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। वह नरेन्द्र मोदी सरकार में पहली बार देश की पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री बनीं।

सुषमाजी ने भारतीय राजनीति अमिट छाप छोड़ी: अमित शाह

पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुये भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता व संसदीय बोर्ड की सदस्य श्रीमती सुषमा स्वराज जी के आकस्मिक निधन से मन अत्यंत दुःखी है। उन्होंने एक प्रखर वक्ता, एक आदर्श कार्यकर्ता, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि व एक कर्मठ मंत्री जैसे विभिन्न रूपों में भारतीय राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि सुषमा स्वराज जी का निधन भाजपा और भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनके परिजनों, समर्थकों व शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे।

श्री शाह ने ट्वीट किया, 'सुषमा स्वराज जी के जाने से भारतीय राजनीति में एक बड़ी रिक्तता आई है जो लंबे समय तक नहीं भर पायेगी। सुषमा जी के अंतिम दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित की।

प्रभु दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान करे...ॐ शांति शांति शांति।'

दीदी सुषमा स्वराज जी अंतिम समय तक राष्ट्र सेवा में लगी रहीं: जगत प्रकाश नड्डा

पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के असामयिक निधन पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि पूर्व विदेश मंत्री, हमारी वरिष्ठ नेत्री और बहुआयामी प्रतिभा की धनी, दीदी सुषमा स्वराज जी के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं एवं मन हृदय अत्यंत शोक-संतप्त है। वे एक उत्कृष्ट राजनेता, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, प्रखर वक्ता और बेहतरीन प्रशासक थीं। उनका निधन न केवल भारतीय जनता पार्टी, बल्कि देश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

श्री नड्डा ने कहा कि दीदी सुषमा स्वराज जी अपने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में अनेक दायित्वों पर रहते हुए अंतिम समय तक राष्ट्र सेवा में लगी रहीं। जब से वे राजनीतिक जीवन में आईं, तब से लेकर विपक्ष की नेता और देश की प्रथम पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री रहने तक उन्होंने हमेशा एक आदर्श व्यक्तित्व का उदाहरण देश और समाज के सामने रखा। देश उन्हें उनके अत्यंत सरल, संवेदनशील, सशक्त, ऊर्जावान एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए सदैव याद रखेगा। हम सभी उनके जीवन से सदैव प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। श्री नड्डा ने कहा कि सात बार सांसद और तीन बार विधायक रह चुकी श्रीमती सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पांचवीं मुख्यमंत्री, 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और विदेश मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के रूप में राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की और आपातकाल के समय कांग्रेस की दमनकारी नीति के खलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि 1977 में पहली बार उन्होंने हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता और महज़ 25 वर्ष की आयु में राज्य की श्रम मंत्री बन कर सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की। वे हरियाणा की जनता पार्टी की अध्यक्ष भी रहीं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली मंत्रिमंडल में वे सूचना प्रसारण मंत्री बनीं।

श्री नड्डा ने कहा कि वे अक्टूबर 1998 में दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनीं। 2009 में वे मध्य प्रदेश के विदिशा से लोक सभा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुईं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनी गयीं। 2014 में वे दोबारा विदिशा से निर्वाचित हुईं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री बनीं। उन्होंने कहा कि प्रखर और ओजस्वी वक्ता, प्रभावी पार्लियामेंटेरियन और कुशल प्रशासक श्रीमती सुषमा स्वराज अकेली महिला नेता हैं जिन्हें असाधारण सांसद चुना गया। विदेश मंत्री रहते

सुषमा स्वराज एक असाधारण महिला एवं नेता थीं : यूएनजीए अध्यक्ष

संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ने पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक असाधारण महिला एवं नेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया।

एस्पिनोसा ने ट्वीट किया, ''सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुनकर दुःखी हूं, एक असाधारण महिला एवं नेता, जिन्होंने अपना जीवन जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया। मुझे भारत यात्रा के दौरान उनसे मिलने का मौका मिला और मैं हमेशा उन्हें याद करूंगी।'' उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन को टैग करते हुए लिखा, ''उनके सभी चाहने वालों को मेरी गहरी संवेदनाएं।''

भूटान के राजा ने सुषमा स्वराज की याद में प्रार्थना सभा का आयोजन किया

भूटान के राजा श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए हजारों दीप प्रज्जवलित किए और प्रार्थना की। पूर्व विदेश मंत्री के लिए विशेष प्रार्थना 7 अगस्त को सिम्टोखा दजोंग में आयोजित की गई। भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार श्री वांगचुक ने श्रीमती स्वराज के परिवार को शोक संदेश भी भेजा। गौरतलब है कि भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोबगे नई दिल्ली में हुए श्रीमती सुषमा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे।

हुए उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की साख स्थापित की, वह अद्भुत है। श्री नड्डा ने कहा कि दुनिया में कहीं भी जब भारत के किसी नागरिक पर कोई संकट आया, वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थीं। उन्होंने देश के विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया और भारत की निर्णायक छवि को और बल दिया। देश सदैव उनके योगदान को स्मरण करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी वरिष्ठ नेत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी के आकस्मिक निधन से भाजपा परिवार का प्रत्येक सदस्य शोकाकुल और स्तब्ध है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति दे। ॐ शांतिः

ध्येय समर्पित व्यक्तित्व के रूप में सुषमा सबकी स्मृति में रहेंगी: मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत और सरकार्यवाह श्री सुरेश भैय्याजी जोशी ने अपने शोक संदेश में कहा, ''सुषमा स्वराज जी का आकस्मिक निधन अत्यंत अकल्पनीय, अविश्वसनीय एवं दुःखद समाचार है। यह अत्यंत वेदनादायक है। लगभग 45 वर्षों का उनका सामाजिक, राजनैतिक जीवन विविध दृष्टि से आदर्श और अनुकरणीय रहा है।''

उन्होंने कहा कि एक आदर्श कार्यकर्ता, कुशल नेत्री, सक्षम एवं प्रभावी मंत्री, ध्येय समर्पित व्यक्तित्व के रूप में उनकी प्रतिभा हम सबकी स्मृति में सदा रहेगी।

श्री भागवत और श्री भैय्याजी जोशी ने कहा कि स्वास्थ्य की मर्यादाओं को समझकर अपने आप को भाग-दौड़ की राजनीति से मुक्त करते हुए सामाजिक कार्य में सहयोग करते रहने की इच्छा उन्होंने प्रकट की थी, लेकिन इस दुःखद घटना से हम सभी व्यथित हैं। उन्होंने

कहा कि वर्तमान में देश में घटित ऐतिहासिक पहल से वे प्रसन्न थीं और यह उन्होंने हम से विदा लेते समय भी प्रकट किया। ऐसे परिवर्तन के काल में उनका स्वर्गवास अत्यंत असहनीय है।

उन्होंने कहा, ''दुःख की इस घड़ी में हम उनके सभी परिजनों के प्रति वेदनापूर्ण संवेदना प्रकट करते हैं। ईश्वर हम सभी को यह आघात सहने का बल प्रदान करे।" ■

श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन से बहुत दुःख हुआ। देश ने अपनी एक अत्यंत प्रिय बेटी खोई है। वह सार्वजनिक जीवन में गरिमा, साहस और निष्ठा की प्रतिमूर्ति थीं। लोगों की सहायता के लिए वह हमेशा तत्पर रहती थीं। उनकी सेवाओं के लिए सभी भारतीय उन्हें सदैव याद रखेंगे।

– रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति

सुषमाजी मुझे हर साल राखी बांधने आती थी, लेकिन वह इस बार रक्षाबंधन पर नहीं आ पाएंगी। इस बार मैं उनकी कमी बहुत महसूस करूंगा।

– वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति

सुषमा स्वराज का सम्मान पार्टी से परे सभी करते थे। जब वह लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं, उस समय की मेरी उनसे जुड़ी काफी यादें हैं।

– मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री

वह बहुत ही मिलनसार थीं। बहुत कम उम्र में हमें उस वक्त छोड़कर चली गईं जब उन्हें अभी सार्वजनिक जीवन में रहकर बहुत योगदान देना था।

– सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष

सुषमा स्वराज जी की भावनाएं और प्रतिबद्धता बेमिसाल रही: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त को पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के असामयिक निधन पर उनके निवास स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज भारतीय राजनीति का एक शानदार अध्याय समाप्त हो गया है। भारत एक ओजस्वी नेता के दुःखद निधन पर शोक व्यक्त करता है, जिसने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा और गरीबों का जीवन बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया। सुषमा स्वराज जी अपने किस्म की एक नेता रही हैं और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं।

श्री मोदी ने कहा कि श्रीमती सुषमा स्वराज एक प्रबुद्ध वक्ता और उत्कृष्ट सांसद थीं। उन्होंने हमेशा प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और हितों के मामलों के बारे में उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि वे एक अच्छी प्रशासक रही हैं और उन्होंने जिस भी मंत्रालय को संभाला उसमें उच्च मानक स्थापित किए हैं। विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक मंत्री के रूप में हमने कई बार उनकी सहृदयता को देखा है। उन्होंने दुनिया के किसी भी हिस्से में संकट में फंसे भारतीयों की मदद करने में कभी कसर नहीं छोड़ी।

प्रधानमंत्री ने कहा, मैं पिछले पांच वर्षों में एक विदेश मंत्री के रूप में सुषमा जी द्वारा किए गए अथक परिश्रम के तौर-तरीकों को कभी नहीं भूल सकता। जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब भी अपने काम के प्रति न्याय करने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की और हमेशा अपने मंत्रालय के मामलों को अद्यतन रखा।

उन्होंने कहा कि उनकी भावनाएं और प्रतिबद्धता बेमिसाल रही। सुषमा जी का निधन उनकी व्यक्तिगत हानि है। उन्हें भारत के लिए किए गए हर काम के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मैं संकट की इस घड़ी में उनके परिवार, समर्थकों और प्रशंसकों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति!

"मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी" कहने का सामर्थ्य दिखाया सुषमा स्वराज ने

प्रभात झा

'सुषमा स्वराज' पुरातन नेताओं के जितनी निकट थी, उससे अधिक नूतन नेताओं के करीब भी थी। वह प्रतिभाशाली कार्यकर्ताओं की संरक्षक थी। वे सतत् संगठन और सरकार के बारे में सोचती रहती थी। प्राण छोड़ने के कुछ घंटों पूर्व उन्होंने जो ट्वीट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किया था, उसमे उन्होंने लिखा था कि "प्रधानमंत्रीजी आपका हार्दिक अभिनन्दन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी" उनका यह ट्वीट स्वतः दर्शाता है कि वह विचारधाराओं से कितनी ओत-पोत रही हैं।

सुषमा स्वराजजी भारत की महिला नेत्रियों में एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नाम था। उन्होंने अपने विकास की लकीर अपनी प्रतिभा से खींची थी। वह उस समय भारतीय राजनीति में आयी जब सामान्य तौर पर सामान्य परिवार की महिलायें नहीं आती थी। उन्हें देश ने कब जाना यह कहानी भी रोचक है।

आपातकाल का समय था। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे सैंकड़ों नेता आपातकाल में जेल में थे। उस समय किसी 'मीसाबंदी' की अदालत में पैरवी करना अर्थात् स्वयं को जेल जाने को निमंत्रण देना था। सुप्रीम कोर्ट में जॉर्ज फर्नांडिस मामले में सुनवाई थी। स्वराज कौशल और सुषमा स्वराज जॉर्ज फर्नांडिस के निकट रहे हैं। जब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब स्वयं सुषमा स्वराजजी कोर्ट में मात्र 23 वर्ष की उम्र में जॉर्ज फर्नांडिस के लिए खड़ी हुई। उनके इस साहस की चर्चा पूरे भारत के राजनैतिक गलियारों में हुई। वे निडर थी। अनुशासित और साहसिक थी।

सन् 1977 में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय हरियाणा में श्रीमती सुषमा स्वराज चुनाव लड़ी और जीत गयी। मात्र जीती ही नहीं उन्हें छोटी सी उम्र में आठ मंत्रालय सौंपा गया। देश ने स्वराज को तब और अधिक जाना। वह कुशल वक्ता थी। धीरे-धीरे उनका संपर्क दिल्ली में बढ़ता गया। वह पलवल हरियाणा की रहने वाली थी। उनके मायके के लोगों का संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था। सुषमाजी का नाम जनता पार्टी के बाद जब 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बनी, तब से भाजपा में उनकी पहचान धीरे- धीरे बनती और बढ़ती गयी। उनकी वाक्पटुता और भाषण से सभी प्रभावित हो गए।

देश में अटलजी को वाणी का जादूगर कहा जाता था तो सुषमा स्वराजजी को महिलाओं में वाणी की जादूगरनी कहने लगे। जन हिंदी, सुन्दर हिंदी, प्रभावी हिंदी, प्रांजल हिंदी, लोगों को समझ में आने वाली सुलभ, सहेज और सरल हिंदी की वह धनी थी।

सन् 1983 की घटना है, वह मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नगर निगम के चुनाव में आयी थीं। अटलजी की जन्मस्थली ग्वालियर रही। वर्षों बाद वहां नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे थे। अतः अटलजी ने उन्हें ग्वालियर जाने को कहा। सुषमा स्वराजजी ग्वालियर आयीं। उनकी बेटी बांसुरी मात्र दो वर्ष की थी। महाराजबाड़े पर उनकी सभा रखी गयी थी। जब वह मंच पर आ रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरी बांसुरी को कौन खिलाएगा। हमें लगा कि वह बांसुरी बजाती होंगी तो उसे रखना होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बांसुरी मेरी यह दो साल की बेटी है। मैं जब तक भाषण दूंगी, तब तक इसे गोदी में खिलाना होगा। मैं 'स्वदेश' की तरफ से रिपोर्टिंग करने गया था। मैंने कहा कि दीदी, मैं खिलाऊंगा। हम बांसुरी को खिलाते रहे और सुषमा स्वराज का भाषण टेप रिकॉर्डर में टेप करते रहे। जब वह भाषण देकर उतरी तो पूछा कि बांसुरी रो तो नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं। वह बोली कि देखो प्रभात मेरी दो साल की बेटी भी मुझे पार्टी कार्य में सहयोग करती है।

मैंने सुषमा स्वराज से भोजन करते हुए पूछा कि आपने अपनी बेटी का नाम बांसुरी

सन् 1977 में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय हरियाणा में श्रीमती सुषमा स्वराज चुनाव लड़ी और जीत गयी। मात्र जीती ही नहीं उन्हें छोटी सी उम्र में आठ मंत्रालय सौंपा गया। देश ने स्वराज को तब और अधिक जाना। वह कुशल वक्ता थी। देश में अटलजी को वाणी का जादूगर कहा जाता था तो सुषमा स्वराजजी को महिलाओं में वाणी की जादूगरनी कहने लगे। जन हिंदी, सुन्दर हिंदी, प्रभावी हिंदी, प्रांजल हिंदी, लोगों को समझ में आने वाली सुलभ, सहेज और सरल हिंदी की वह धनी थी।

क्यों रखा। उन्होंने कहा कि मैं बांसुरीवाला, बंसीवाले की भक्त हूं। जैसे-जैसे उनसे संपर्क बढ़ता गया तो पता चला कि वह गीता, महाभारत और दिनकरजी के साथ हिंदी के सभी वरिष्ठ कवि और लेखकों की सैकड़ों किताबों का अध्ययन कर चुकी है।

सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति में एक सम्मानित नाम रहीं। उन्होंने सदैव प्रतिष्ठा की राजनीति की। निर्णय के पहले सभी विषयों पर चर्चा करना और निर्णय के बाद सिर्फ निर्णय को क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ना उनका स्वभाव था। पार्टी ने उन्हें दिल्ली में चुनाव के चार माह पूर्व मुख्यमंत्री बनाया। वह पीछे नहीं हटी। पार्टी ने उन्हें सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी से चुनाव लड़ाया, वह पीछे नहीं हटी। वह बेल्लारी चुनाव में वह कन्नड़ सीखने लग गई। सभी को जानकर यह आश्चर्य होगा कि वह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी के साथ-साथ कन्नड़ भी बोलती थी।

सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति में परिचय की मोहताज नहीं थी। अटलजी के मंत्रिमंडल में जहां वह काबिना मंत्री थी, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के काबिना में भी विदेश मंत्री थी। वह पार्टी की प्रवक्ता भी रहीं। बाद में महासचिव बनीं। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेम्बर बनी।

एक समय ऐसा आया कि देश में चुनाव के समय सभाओं में अटलजी और आडवाणीजी के बाद सर्वाधिक मांग सुषमा स्वराज की होती थी। सुषमा स्वराज ने अपनी वाणी की छाप पूरे देश पर छोड़ी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन से छात्र राजनीति से जुड़ी सुषमा स्वराज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुषमा स्वराज अपने दिए गए कार्यों को सदैव समर्पण भाव से करती थी। उनपर सदैव अटलजी और आडवाणी जी का आशीर्वाद रहा।

सुषमा स्वराज को भारतीय राजनीति में जो स्थायित्व मिला उसमें उस समय के भाजपा नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान था। एक समय में वह उस समय और अधिक चर्चा में आई, जब यूपीए प्रथम में कांग्रेस के लोगों ने कहा कि वह 'सोनिया गांधी' को देश प्रधानमंत्री बनायेंगे। अति गंभीर नेता सुषमा स्वराज ने उनका खुलकर विरोध ही नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा की यदि कांग्रेस यह निर्णय लेती है तो मै पूरे देश में बाल मुंडवाकर इनका विरोध करूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि आज़ाद भारत में कोई विदेशी भारत का प्रधानमंत्री बने। वह जहां अपनी विचारधारा की प्रबल समर्थक थी, वहीं वे नीतिगत आधार पर विरोध करने में भी पीछे नहीं रहती थी।

वह दिल्ली से चुनाव लड़ी। वह उत्तर प्रदेश से राज्य सभा में आई। राज्य सभा में उन्होंने अपनी पारी धारदार खेली। वह हर विषय का गहन अध्ययन करती थी और तब बोलती थी।

वे हमारे मध्य प्रदेश की विदिशा से लोक सभा लड़ने आई। हम लोगों का और भी संपर्क बढ़ गया। मैं उस समय मध्य प्रदेश पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कभी किसी को यह एहसास नहीं होने दिया, कि वह बाहरी हैं। उन्हें किसी ने समझा भी नहीं की वह बाहरी हैं। वह पूरे मध्य प्रदेश में दीदी के नाम से जानी जाने लगी। सुषमा स्वराज में अपने संसदीय क्षेत्र की कार्यपद्धति बतौर सांसद अलग प्रकार से बनायी थी। उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया।

'सुषमा स्वराज' ने अपने सम्पूर्ण जीवन को भारतमाता के लिए सौंप दिया। उन्होंने कभी अपने शरीर की चिंता नहीं की। बीमार होने बाद भी वह पूरे देश में चुनाव प्रचार में लगी रहती थी। उनका स्वस्थ्य ठीक नहीं था। वह फिर भी नहीं रुकी। उन्होंने भारतीय राजनेता में संस्कारित जीवन जिया। उन्होंने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान स्वयं कहा कि अब वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। आज विरले ही लोग बचे हुए हैं, जो यह कहने का साहस रखते हैं कि आगामी चुनाव नहीं लड़ना है। जबकि सच्चाई यह थी कि यदि वह विदिशा से फार्म भर कर भी चली जाती तो उस लोकसभा से वह पांच लाख से अधिक मतों से जीतकर आती।

'सुषमा स्वराज' ने भारतीय राजनीति में महान् क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की तरह राजनीति का बल्ला तब उठाया, जब उनमें राजनीतिक क्षेत्र में बल्ला घुमाने और शतक बनाने का सामर्थ्य था। उन्होंने एक आदर्श राजनैतिक जिंदगी जिया। यही कारण है कि उन्हें उनके अंतिम संस्कार में सर्वदलीय श्रद्धांजलि मिली। ■

लेखक भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं
सांसद (राज्य सभा) हैं।

कमल संदेश अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

देशभर में जल संरक्षण को लेकर अनेक प्रभावी प्रयास चल रहे हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 जुलाई को रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर देशभर में अनेक प्रभावी प्रयास चल रहे हैं। लोगों ने पारंपरिक तौर-तरीकों के बारे में जानकारियां तो शेयर की हैं। मीडिया ने जल संरक्षण पर कई नए अभियान शुरू किये हैं। सरकार हो, NGOs हो- युद्ध स्तर पर कुछ-ना-कुछ कर रहे हैं। सामूहिकता का सामर्थ्य देखकर मन को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखण्ड में रांची से कुछ दूर ओरमांझी प्रखण्ड के आरा केरम गांव में वहां के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौसला दिखाया है, वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। ग्रामीणों ने श्रम दान करके पहाड़ से बहते झरने को एक निश्चित दिशा देने का काम किया। वो भी शुद्ध देसी तरीका। इससे न केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है, बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है। ग्रामीणों का ये श्रम दान अब पूरे गांव के लिए जीवन दान से कम नहीं है।

श्री मोदी ने कहा कि आप सबको यह जानकर भी बहुत खुशी होगी कि उत्तर-पूर्व का खूबसूरत राज्य मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने अपनी जल-नीति तैयार की है। मैं वहां की सरकार को बधाई देता हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पवित्र महीने में कई श्रद्धालु कांवड़ यात्रा और अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, जबकि कई लोग नियमित रूप से उपवास करते हैं और उत्सुकतापूर्वक जन्माष्टमी और नाग पंचमी जैसे त्योहारों का इंतजार करते हैं। इस दौरान ही भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंधन का त्योहार भी आता है। सावन महीने की जब बात हो रही है, तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस बार अमरनाथ यात्रा में पिछले चार वर्षों में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि 1 जुलाई से अब तक तीन लाख से अधिक तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं। 2015 में पूरे 60 दिनों तक तक चलने वाली इस

यात्रा में जितने तीर्थयात्री शामिल हुए थे, उससे अधिक इस बार सिर्फ 28 दिनों में शामिल हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की सफलता के लिए मैं खासतौर पर जम्मू-कश्मीर के लोगों और उनकी मेहमान-नवाजी की भी प्रशंसा करना चाहता हूं। जो लोग भी यात्रा से लौटकर आते हैं, वे राज्य के लोगों की गर्मजोशी और अपनेपन की भावना के कायल हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें भविष्य में पर्यटन के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली हैं।

श्री मोदी ने कहा कि मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड में भी इस वर्ष जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, तब से डेढ़ महीने के भीतर 8 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। 2013 में आई भीषण आपदा के बाद पहली बार इतनी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री वहां पहुंचें हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विद्यार्थियों के लिए एक दिलचस्प प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं युवा साथियों को, विद्यार्थियों को अनुरोध करता हूं कि इस क्विज कम्पटीशन में भाग लें और अपनी हिस्सेदारी से इसे दिलचस्प, रोचक और यादगार बनाएं। मैं स्कूलों से, अभिभावकों से, उत्साही आचार्यों और शिक्षकों से, विशेष आग्रह करता हूं कि वे अपने स्कूल को विजयी बनाने के लिए भरसक मेहनत करें। सभी विद्यार्थियों को इसमें जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

श्री मोदी ने कहा कि सबसे रोमांचक बात यह है, कि हर राज्य से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को भारत सरकार अपने खर्च पर श्रीहरिकोटा लेकर जाएगी और सितम्बर में उन्हें उस पल का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड कर रहा होगा। इन विजयी विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन की ऐतिहासिक घटना होगी, लेकिन इसके लिए, आपको क्विज कम्पटीशन में हिस्सा लेना होगा, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे, आपको विजयी होना होगा। ■

नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों के साथ पौधा रोपण करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

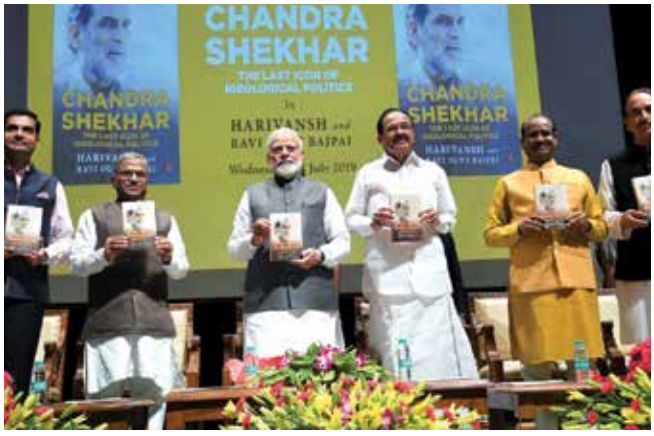

नई दिल्ली स्थित संसद के पुस्तकालय भवन में पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर पर लिखित पुस्तक 'द् लॉस्ट आइकॉन ऑफ ऑइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स' का विमोचन करते उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला व अन्य

नई दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम 'दिव्य कला शक्ति: दिव्यांगता में क्षमता के साक्षी' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली स्थित संसद भवन में आयोजित 'संसद कार्यशाला' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा व अन्य

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-19